उत्तरांचल शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

वर्ष

2005–2006

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल, देहरादून।

विषय सूची

भाग–1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)

(1) प्रशासनिक खण्ड

क0सं0	विवरण	कंडिका	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय प्राधिकार के स्रोत	2.1 से 2.3	1–2
2	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1–3.2	2–3
3	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1, 4.2	3 से 4
4	विभागीय आय–व्ययक	5.1 से 5.3	5
5	विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1–6.2	5
6	विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1 से 7.4	5–6
7	विभाग की जनशक्ति	8	6–7
8	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	7
9	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1 (1)	7–8
10	विशेष सम्परीक्षायें	10.1 (2)	8
11	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2 (1)(2)	8
12	जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	9
13	निष्कर्ष	14	9
(2)	**कार्यकारी खण्ड**		10 से 48
(3)	**परिशिष्ट क, ख, ग, घ, ड. च, छ एवं ज**		49 से 66

1— प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग के राजाज्ञा संख्या: 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तरांचल राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू हैं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा—8(3) के अधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पूर्ववर्ती राज्य के विधानो के अनुसार नवसृजित राज्य में भी इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। नवसृजित राज्य के विधान मण्डल के पटल पर वर्ष 2004—05 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 8(3) के अन्तर्गत गत वर्ष रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2005—06 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल में रखने हेतु प्रस्तुत है।

2— विभागीय प्राधिकार के स्रोत :—

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तद्धीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथा स्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियॉ **"स्थानीय निधि" (लोकल फण्ड)** के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रूप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रूप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के पैरा 369 **"के"** में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्य कलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रूप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदान के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिए वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नही, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या–12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रूप से प्रभावी है, की धारा–4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम, 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे ––

3.1 वर्ष 2005–06 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 929 थी। उप सम्परीक्षाधीन 913 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट 'क' भाग–1** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शत प्रतिशत लेखा परीक्षा किये जाने वाली 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट 'क' भाग–2** के रूप में संलग्न है।

3.2 – सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट 'ख'''** में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य ––

4.1 – शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नही। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूतर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 –स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :–

➡ 1– सम्परीक्षाधीन स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।

➡ 2–उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

➡ 3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।

➡ 4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

➡ 5– नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ–केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेन्शन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।

➡ 6– महा लेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।

➡ 7– नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार पद हेतु अर्हकारी लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।

➡ 8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।

➡ 9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

➡ 10– स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।

➡ 11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।

➡ 12– धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।

➡ 13– विभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।

➡ 14– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।

➡ 15– सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमो के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।

➡ 16– उपर्युक्त स्थानीय निकायों/संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

➡ 17– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5 – प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों/स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियॉ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय–व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **(परिशिष्ट 'ग')** उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6 – विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है:–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	व्यय (रूपये)	आरोपित सम्प0 शुल्क(रू0)
1–	2005–06	1,07,83,112=00	3,54,91,302=00

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नही की जा सकती है।

7.1– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था :– उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 सं0 5058/वि0शा0स0/2001 दिनांक 19 जून,2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय है:–

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "घ"** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट "ड."** में दी गई है।

7.2–1– **मुख्यालय स्तर** :– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं जिन्हे अपने कार्यो के साथ–साथ पदेन रूप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तरांचल तथा भारतीय धर्मादा संदान के उत्तरांचल वृत के कार्यो का भी सम्पादन करना पड़ता है।

7. 2–2– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बड़ी संस्थाओं जैसेः– नगर निगम, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – **जनपद स्तरीय** :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। विभाग के लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित लेखा परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित है। प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों में अभी तक जनपदीय कार्यालय नही खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 **राज्य स्तरीय** :– शासनादेश सं0 वि0 अनु0–1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्र नगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किय गये हैं।

8– **विभाग की जनशक्ति** :– वर्ष 2005–06 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र0 स0	अधिकारी / कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत सं0	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1–	समूह''क''	03	01	33.33
2–	समूह''ख''	16	05	31.0
3–	**समूह ''ग''**			
	(1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	04	02}	
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड–।	14	10}	24.16
	(3) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	82	12}	
	(4) लेखा परीक्षक	20	05}	
	(5) आशुलिपिक	03	शून्य	शून्य
	(6) वरिष्ठ लिपिक / लिपिक	40	17	47.5
	(7) वाहन चालक	03	01	33.33
4–	समूह ''घ''	61	11	18
	योग	**246**	**64**	**26**

9– स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:–

वर्ष 2005–06 में अधिकांश पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 929 लेखाओं में से 163 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 766 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें :–

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2005–06 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 18,38,72,895=00 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार / शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	शीर्षक	धनराशि (रू0 में)
1–	व्यपहरण	2,05,978=00
2–	अधिक / अनियमित / परिहार्य	2,34,45,138=00
3–	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमितताऐं	24,27,718=00
4–	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताऐं	35,56,960=00
5–	आर्थिक क्षति	1,36,06,902=00
6–	राजस्व क्षति	72,76,206=00
7–	दुर्विनियोग	4,62,90,000=00
8–	अस्थायी अग्रिम	8,70,63,993=00
	योग	**18,38,72,895=00**

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2006 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट** ''च'' में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 2166 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 –– विशेष सम्परीक्षाऐं :– प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जांच संस्था अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2005–06 में प्रेम विद्यालय सभा गुरूकुल नारसन, हरिद्वार की विशेष सम्परीक्षा सम्पन्न की गयी।

10.2.1 ––सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :– वर्ष 2005–06 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :–

	(रूपयों में)
01 अप्रैल, 2005 को प्रारम्भिक शेष	4,67,26,955=00
वर्ष में स्थापित मांग	3,54,91,302=00
योग	8,22,18,257=00
वर्ष में समाहरण	1,49,57,991=00
31 मार्च, 2006 को बकाया	**6,72,60,266=00**

10.2.2–– उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड़ उनपचास लाख सत्तावन हजार नौ सौ इक्यानवे रूपये की वसूली हुई है जिसमें गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है किन्तु यह वसूली कुल बकाया धनराशि की तुलना में संतोषजनक नही रही। इसका प्रमुख कारण वर्तमान में सम्परीक्षा शुल्क की वसूली के सम्बन्ध में विभाग को विशेष अधिकार प्राप्त न होना है। उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम –1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11.1– चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा 3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पत्तियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल को शासनादेश संख्या **163/XXVii** (2) /2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण **परिशिष्ट** ''छ'' में दिया गया है।

उत्तरांचल के न्यासों की प्रतिभूतियों में जमा धनराशि एवं अर्जित ब्याज का विस्तृत विवरण पूर्ववर्ती राज्य से पत्राचार के उपरान्त भी अभी तक प्राप्त नही हुआ है।

12– लेखाकार परीक्षा का आयोजन :– जिला पंचायतों, नगर पालिका परिषदों एवं जल संस्थानों की लेखाकार परीक्षा के आयोजन कराने की कार्यवाही रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षायें उत्तरांचल के अस्तित्व में आने के उपरान्त की जा सकेगी।

13 – जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेन्शन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण :– वर्ष 2005–06 में पेन्शन प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :–

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
38	225	263	शून्य

14 – निष्कर्ष :– उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट** ''क'' से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2005–06 में 929 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। स्टाफ की कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए 163 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित **रू0 18,38,72,895=00** की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग अधिक एंव अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की हानि आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(यशपाल सिंह)
निदेशक

2— कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2005–06)

वर्ष 2005–06 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रू0 में)
1–	नगर पालिका परिषदें	2,06,60,313=00
2–	नगर पंचायतें	28,42,776=00
3–	उत्तरांचल चाय बोर्ड	33,14,559=00
4–	इन्जीनियरिंग कालेज	17,30,488=00
5–	विश्वविद्यालय	3,27,75,771=00
6–	मन्दिर समितियाँ	5,09,327=00
7–	बेसिक शिक्षा समितियाँ	4,68,49,601=00
8–	विकास प्राधिकरण	7,12,62,511=00
9–	उत्तरांचल कृ0उ0म0 परिषद	34,68,583=00
10–	कृ0उ0म0 समितियाँ	3,37,083=00
11–	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	8,672=00
12–	राष्ट्रीय सेवा योजना	85,766=00
13–	डिग्री कालेज	14,520=00
14–	संस्कृत महाविद्यालय	12,925=00
	योग	**18,38,72,895=00**

टिप्पणी :– विस्तृत विवरण **परिशिष्ट "ज"** में दिया गया है।

वर्ष 2005–2006 में सम्पन्न सम्परीक्षायें

नगर पालिका परिषदें

नगर पालिका परिषद सितारगंज (उधमसिंह नगर) वर्ष 2000–01 से 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– श्री फरहत उल्ला, सेवा निवृत्त अधिशासी अधिकारी को सेवानिवृत्ति के दिनांक को देय अधिकतम अर्जित अवकाश 180 दिन के स्थान पर 254 दिन के अर्जित अवकाश के नकदीकरण का भुगतान किये जाने से रू0 23,052=00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग–दो(ब) प्रस्तर 1(क)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– श्री एलमदास, अधिशासी अधिकारी को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के फलस्वरूप रू 30,026=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर 1(ख)(1)

(ग) आर्थिक क्षति :– उपनियमों में निर्धारित दरों से कम दर पर विभिन्न शुल्क/फीस लिये जाने के कारण रू0 42,245=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(ब) प्रस्तर 1(ग)(2)

(घ) राजकीय अनुदानों के उपभोग सम्बन्धी अनियमिततायें :– वर्ष 1989 व 1991 में प्राप्त नाला निर्माण एवं शुलभ शौचालय अनुदान कुल रू0 22,66,684=00 का वेतनादि पर व्यय करके विचलन किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर 5

नगर पालिका परिषद किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2000–01 से 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– पालिका द्वारा मै0 न्यू लाईट इंजीनियरिंग बर्क्स रूद्रपुर से दस 4.5 घनमीटर क्षमता के क्लोज्ड टोप कन्टेनर के क्रय पर रू0 3,55,000=00 का भुगतान किया गया था किन्तु डम्पर प्लेसर नही खरीदा गया था। जिस कारण उपकरण का उपभोग न हो सकने के फलस्वरूप भुगतान अमान्य था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर –4

2– परिवहन निगम के बस स्टेशन के परिसर में पालिका परिषद द्वारा यात्री शैड बनाये जाने एवं दुकान के निर्माण पर रू0 2,01,785=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

3– पालिका द्वारा रेलवे की भूमि में खण्डजा बनाये जाने एवं रेलवे द्वारा इस पर आपत्ति किये जाने के बावजूद खण्डजा बिछाने पर रू0 1,49,905=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

4– पालिका के चार सफाई कर्मचारियों को दण्डित करके जुर्माना भरने के बावजूद उन्हें रू0 9,868=00 बोनस के रूप में अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–

5– पालिका के विभिन्न कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विभिन्न देयकों से विभिन्न कारणों के आधार पर रू0 57,469=00 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–18

(ख) राजस्व की क्षति :– आय के विभिन्न ठेकों के अनुबन्धों में निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के स्ट्राम्प पेपर प्रयोग किये जाने से रू0 3,60,190=00 राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–23

नगर पालिका परिषद नैनीताल वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– पालिका द्वारा कर्मचारियों के वेतन हेतु कुर्मांचल नगर सहकारी बैंक नैनीताल से रू0 7,70,000=00 के ऋण हेतु रू0 2,54,186=00 ब्याज का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(ग)

(ख) आर्थिक क्षति :– पालिका कर्मचारियों को आवंटित भवनों के लिये कर्मचारियों से मानक किराया वसूल न किये जाने से रू0 1,08,888=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(छ)

नगर पालिका परिषद भवाली वर्ष 2003–04 :–

(क) आर्थिक क्षति :– अनेक ऐसे भवनों जिन्हें किराये पर उठाया गया था और जिनके किराये की धनराशि पालिका को ज्ञात थी, का वार्षिक मूल्यांकन कम किये जाने के कारण पालिका को गृहकर के रूप में रू0 51,746=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(ग)

(ख) राजस्व की क्षति :– निर्माण कार्य पर स्रोत पर आयकर एवं बिक्रीकर की कटौती न किये जाने से क्रमशः रू0 5,040=00 तथा 11,250=00 कुल रू0 16,290=00 राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(क)

नगर पालिका परिषद रूद्रपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2002–03 व 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) शताब्दी स्तूप निर्माण कार्य में मूल प्राकलन रू0 7,06,662=00 के विरूद्ध कुल रू0 13,70,788=00 का भुगतान किया गया था, जिसमें रू0 26,000=00 शाह एसोसियेट को सुपरवीजन चार्जेज भुगतान किया गया था। वास्तविक व्यय मूल आगणन से रू0 4,90,501=00 अधिक किया जाना अनियमित था। साथ ही सुपरवीजन चार्जेज का व्यय रू0 26,000=00 पालिका पर अनावश्यक व्ययभार था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) बधाई सन्देश पर प्रतिबन्ध होने के वाबजूद विभिन्न समाचार पत्रों में बधाई सन्देशों पर रू0 14,838=00 का अनियमित भुंगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(ख) राजस्व की क्षति :– पालिका राजस्व के ठेकों के अनुबन्ध पत्रों में कम मूल्य के स्टाम्प पेपर लगाये जाने के कारण शासन को रू0 1,57,410=00 के राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

नगर पालिका परिषद हल्द्वानी :–

(क) आर्थिक क्षति :– परिवहन विभाग में वर्ष 2001–02, 2002–03 एवं 2003–04 में क्रमशः 447, 447 एवं 450 आटो रिक्शा पंजीकृत थे जिनके विरूद्ध पालिका द्वारा मात्र क्रमशः 7, 9 व 3 आटो रिक्शा के लाईसेन्स निर्गत किये गये थे। कम लाइसेन्स निर्गत किये जाने के कारण रू0 360=00 प्रति लाइसेन्स की दर से रू0 4,77,000=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(ख) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) विभिन्न निर्माण कार्यो में स्वीकृत दर से उच्च दर पर भुगतान किये जाने के कारण रू0 6,553=00 का अधिक भुगतान हुआ।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–11(अ)(ब)(स)

(2) शासन की अनुमति लिये बिना पालिका द्वारा टोयटा क्वैलिस गाड़ी के क्रय पर रू0 7,76,600=00 व्यय अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–ग

असमायोजित अस्थायी अग्रिम :– वर्षान्त में रू0 2,37,858=00 की धनराशि विगत अनेक वर्षो से असमायोजित होने के कारण इसके दुरूपयोग की सम्भावना थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–11

नगर पालिका परिषद बाजपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) पालिका भवन के मरम्मत का कार्य प्राकलन रू0 4,30,000=00 से बढ़ाकर रू0 9,19,000=00 किये जाने पर मूल प्राकलन में भारी बृद्धि होने के कारण पुनः स्वीकृति, टेण्डर आदि की कार्यवाही न करने से रू0 4,84,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया। इसके अलावा पुरानी ईटों के मूल्य के रूप में रू0 37,375=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(2) अवस्थापना निधि सें प्राप्त ऋण के सापेक्ष रू0 8,37,789=00 निर्धारित उद्देश्यों के विपरीत अनियमित रूप से व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–11

(ख) राजस्व की क्षति :– पालिका राजस्व ठेके का अनुबन्ध निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर कराये जाने से रू0 1,53,920=00 शासकीय राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

नगर पालिका परिषद रामनगर (नैनीताल) :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– नजूल भूमि 18055.43 वर्गमीटर पालिका पक्ष में फ्रीहोल्ड करने के लिये रू0 9,13,487=00 राजकीय कोषागार मे जमा करने के उपरान्त छियालिस किरायेदारों हेतु 1630.66 वर्गमीटर भूमि की अनापत्ति जारी करने के कारण जमा की गयी धनराशि रू0 81,534=00 को राजकीय कोषागार से वापिस न लिये जाने से अधिक भुगतान किया गया।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– नगर विकास अनुभाग–8 के शा0सं0 528/8–99–23 ज/99 दिनांक 24.9.1999 द्वारा स्थानीय निकायों के सभी आवासों के किराये को दिनांक 01.8.98 से दुगना करने के निर्देश के वाबजूद पालिका द्वारा 15 किरायेदारों के किराये में कोई बृद्धि नही करने के कारण रू0 29,195=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(ग) अस्थायी अग्रिम :– विभिन्न व्यक्तियों पर 31 मार्च, 2004 को रू0 1,87,965=00 की धनराशि बकाया थी जिनका समायोजन न होने से दुरूपयोग की सम्भावना थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–

नगर पालिका परिषद जसपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– नगर पालिका परिषद द्वारा तीन निर्माण कार्यो में तारकोल की आपूर्ति स्वयं किये जाने पर ठेकेदार के बिलों से आपूर्ति हेतु कम दर से कटौती किये जाने के कारण रू0 41,300=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

नगर पालिका परिषद गोपेश्वर वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– पालिका परिषद में स्वीकृत 22 पदों के विरूद्ध कुल 69 कर्मचारी नियमित वेतन एवं दैनिक वेतन पर कार्यरत थे। इस प्रकार रू0 13,50,946=00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) वर्ष 2003–04 का तहबाजारी ठेका प्रथम बोलीदाता का रू0 91,500=00 का स्वीकृत हुआ था, परन्तु उनके द्वारा कार्य न करने पर द्वितीय बोलीदाता को रू0 71,000=00 में ठेका स्वीकृत करने के कारण रू0 20,500=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(2) प्रथम बोलीदाता द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि रू0 10,000=00 भी वापस कर दी गयी थी। इसे जब्त न करने के कारण रू0 30,500=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–छ

(ग) असमायोजित अस्थायी अग्रिम :– वर्ष 1987 से वर्षान्त तक रू0 90,705=00 के अस्थायी अग्रिम असमायोजित थे, जिनके दुरूपयोग की स्थिति विद्यमान थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(च)

नगर पालिका परिषद पौड़ी वर्ष 2003–04 :–

आर्थिक क्षति :– दिनांक 01.5.2003 से 31.3.2004 तक की अवधि का तहबाजारी का ठेका, ठेकेदार श्री बृजमोहन नेगी को रू0 2,21,107=00 में स्वीकृत हुआ था। ठेकेदार द्वारा अनुबन्ध की अवधि के उपरान्त अप्रैल, 2004 की तहबाजारी भी वसूल करने तथा पालिका कोष में अतिरिक्त धनराशि जमा नही करने के कारण अनुपातिक दर से रू0 20,100=00 कम जमा होने से आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

नगर पालिका परिषद पौड़ी वर्ष 2004–05 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) पालिका द्वारा विभिन्न मदों के लाइसेन्स शुल्क की दरों का संशोधन 07 फरवरी, 1998 के गजट में करने पर भी संशोधित दर से कम दरों पर लाइसेन्स शुल्क लिये जाने के कारण रू0 25,600=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(2) शराब की दुकानों का लाइसेन्स शुल्क न लगाये जाने के कारण रू0 12,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(5)

नगर पालिका परिषद जोशीमठ वर्ष 2004–05 :–

व्यपहरण :– तीर्थ यात्रीकर एवं पार्किंग शुल्क हेतु विभिन्न तिथियों में विभिन्न रसीदों से रू0 434=00 कम जमा होने के कारण इसका व्यपहरण कर लिया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

नगर पालिका परिषद दुगड्डा वर्ष 2004–05 :–

(क) आय/राजस्व क्षति सम्बन्धी अनियमिततायें :– नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 140(ख) के अनुसार गृहकर निर्धारण न किये जाने से रू0 9,543=00 की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

(2) पालिका द्वारा ठेकेदारों के देयकों से आयकर एवं व्यापार कर की कटौती रू0 15,020=00 करने के उपरान्त राजकोष में जमा न करने के कारण राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(ग)

(ख) राजकीय अनुदान उपभोग सम्बन्धी :– पालिका परिषद द्वारा वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 में ग्यारहवें वित्त आयोग से प्राप्त रू0 3,50,158=00 अनुदान का उपभोग बिना 50 प्रतिशत अंशदान रू0 1,75,079=00 सम्मिलित किया गया था। जो अनुदान की शर्तो के विपरीत था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(न)

नगर पालिका परिषद कोटद्वार (पौड़ी) :–

(क) राजस्व की कमी :– (1) विद्युत पोल एवं अन्य सामग्री के भुगतान में रू0 9,766=00 बिक्रीकर एवं रू0 5,4,69=00 आयकर की कटौती न करने से रू0 15,235=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)(3)

(2) तहबाजारी एवं पार्किंग शुल्क के निविदा के अनुबन्ध में स्टाम्प शुल्क न लगाने से रू0 20,000=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– विद्युत पोल एवं अन्य सामग्री के क्रय में एस0डी0ओ0 विद्युत वितरण खण्ड कोटद्वार की दरों की तुलना में फर्म को रू0 76,100=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)(4)

नगर पालिका परिषद रूड़की (हरिद्वार) :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) गृहकर कम निर्धारित किये जाने के कारण पालिका परिषद को रू0 5,61,970=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

(2) पशुवध माँग कायम न किये जाने से पालिका परिषद को रू0 1,86,432=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)

(3) विद्युत सामग्री के क्रय में छूट का लाभ न लेने के कारण रू0 15,450=00 की आर्थिक हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ड.)

(4) माँग एवं वसूली पंजी में बकाया अग्रेनीत न किये जाने से रू0 3,408=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(च)

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) संविदा कर्मचारियों को रू0 13,916=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ट)

(2) पालिका कर्मचारियों को मेडिकल बिलों का रू0 24,925=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ठ)

नगर पालिका परिषद हरिद्वार वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) शासनादेशों अथवा नियमों में प्राविधान न होने के कारण दान एवं मानदेय पर रू0 36,000=00 का अमान्य भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

(2) पालिका द्वारा लिये गये ऋणों पर देय ब्याज के भुगतान हेतु बैंक से पुनः ऋण लेकर रू0 1,31,551=00 ब्याज एवं रू0 587=00 बैंक चार्जेज का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

(3) नियमों में प्राविधान न होने के कारण शपथ ग्रहण समारोह पर रू0 35,652=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(4)

(4) भैसा भत्ते के रूप में पालिका परिषद द्वारा शासनादेश में अनुमन्य रू0 300=00 प्रति भैसा प्रतिमाह के स्थान पर रू0 500=00 प्रति भैसा प्रतिमाह देने से रू0 9,600=00 भैंसा भत्ते का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(7)

(5) धारा–70 के अन्तर्गत नियुक्त कर्मचारियों के वेतनादि पर रू0 16,222=00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(8)

(6) पालिका परिषद द्वारा पेंशन अंशदान रू0 20,90,272=00 की धनराशि पेंशन निधि में जमा न करने के दायित्वों में बृद्धि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(30)

(ख) आर्थिक क्षति :– पालिका द्वारा ब्रेकों रोप वे से टिकट दरों के अन्तर को नही प्राप्त करने से रू0 36,000=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(13)

नगर पालिका परिषद मंगलौर वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक, अनियमित एवं अमान्य भुगतान :– (1) नगर पालिका परिषद द्वारा संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति करके रू0 1,19,290=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(1)

(2) क्रीत विद्युत सामानों का सत्यापन भण्डार पंजिका से न कराये जाने के कारण रू0 3,62,545=00 का व्यय अनियमित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3)

(ख) राजस्व की क्षति :– ठेका तहबाजारी एवं ठेका मुर्दा मवेशी का अनुबन्ध स्टाम्प पेपर पर न करने के कारण रू0 28,800=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(7),1(8)

नगर पालिका परिषद बाजपुर (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 :–

(क) राजस्व की क्षति :– (1) पालिका राजस्व ठेकों का अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टेम्प पेपर पर न कराये जाने से रू0 1,53,920=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) अवस्थापना निधि से प्राप्त ऋण के सापेक्ष रू0 8,37,769=00 का निर्धारित उद्देश्यों से अन्यत्र अनियमित रूप से व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–11

नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर वर्ष 2004–05 :–

(क) व्यपहरण :– परिषद द्वारा उप सम्परीक्षा माहों में निर्गत रसीदों की आय रू0 3,138=00 परिषद निधि में जमा नही करके व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(1)

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– शा0सं0 578/दस–सं0वि0नि0/99 दिनांक 16.6.1999 एवं 4649/9.1.98–116सा/98 दिनांक 6.11.1998 निर्गतोपरान्त भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर रू0 3,61,448=00 अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(1)

नगर पालिका परिषद टिहरी गढ़वाल वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक /अनियमित/ अमान्य भुगतान :– (1) व्यय प्रमाणक सं0 18 जुलाई, 2004 द्वारा रू0 22,500=00 का भुगतान श्रीमती विजय लक्ष्मी पत्नी श्री कीर्तिमणी को दुकान आंवटन प्रीमियम की वापसी हेतु किया गया था जबकि अमर उजाला दिनांक 10.10.2002 में प्रकाशित नीलामी की शर्तानुसार उक्त भुगतान अमान्य था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

(2) शा0सं0 578/दस–सं0वि0मि0–1/79 दिनांक 16.6.1999 द्वारा प्रतिबन्ध होने के वावजूद दैनिक वेतन/तदर्थ/संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के वेतन पर रू0 20,65,209=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(1)

(3) परिषद में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारी कार्यरत रहने से रू0 12,00,000=00 इनके वेतनादि पर अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(2)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) परिषद द्वारा रैन बसेरा के किराया की दरों में कटौती करने से परिषद को रू0 4,26,000=00 की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(2)

(2) बोर्ड प्रस्ताव संख्या 2/6.11.2003 द्वारा कम दर से लाइसेन्स शुल्क की वसूली किये जाने से परिषद को रू0 35,000=00 की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1 ख(अ)

नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी वर्ष 2004-05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अध्यक्ष एवं सदस्यों हेतु (उपसम्परीक्षा माहों में) रू0 45,721=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ब)

(2) शा0सं0 2425/9.1.86 दिनांक 3.4.1996 एवं 4549/9.1.98–116–सा/98 दिनांक 6.11.1998 निर्गतोपरान्त भी उप सम्परीक्षा माहों में दैनिक वेतेन/तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों के वेतनादि पर रू0 95,445=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(ब)

नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित /अमान्य भुगतान :– (1) दैनिक वेतन पर नियुक्ति से रू0 6,00,000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(अ)

(2) नाला निर्माण हेतु स्वीकृत प्राकलन रू0 1,50,178=58 के विरूद्ध रू0 1,68,180=06 का भुगतान कर आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराये बिना करने के कारण रू0 13,012=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(ब)

(ख) अस्थायी अग्रिम :– अग्रिमों की 31 मार्च, 2005 को रू0 2,16,433=00 की धनराशि असमायोजित थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–10

नगर पालिका परिषद बागेश्वर वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित /अमान्य भुगतान :– दैनिक वेतन पर कर्मचारी नियोजित किये जाने से रू0 71,709=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–(1)(अ)

(ख). अस्थायी अग्रिम :– 31 मार्च, 2004 को रू0 4,61,000 का अस्थायी अग्रिम असमायोजित था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–11

नगर पालिका परिषद बागेश्वर वर्ष 2004–05 :–

अधिक/अनियमित /अमान्य भुगतान :– शासनादेशों में प्रतिबन्ध होने के उपरान्त भी दैनिक वेतन पर रू0 5,69,955=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(स)

नगर पंचायतें

नगर पंचायत गंगोत्री वर्ष 2004–05 :–

अधिक, अनियमित एवं अमान्य भुगतान :– शा0सं0 2425/9.1.86 दिनांक 03.4.1996 के प्राविधानों के विपरीत दैनिक वेतन भोगी /तदर्थ कर्मचारियों के वेतन पर रू0 1,51,040=00 का अमान्य भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–7(3)

नगर पंचायत दिनेशपुर वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) रू0 8,137=00 ब्याज (आयकर) का निकाय निधि से किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) दैनिक वेतन कर्मचारियों को पारिश्रमिक रू0 81,622=00 का भुगतान वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि से किया जाना अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

(ख) राजस्व की क्षति :– निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध न करने से रू0 58,027=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–7

नगर पंचायत महुआ डाबरा वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) रू0 10,000=00 आयकर विलम्ब शुल्क का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1

(2) स्वच्छता समितियों के सफाई मजदूरों एवं संविदा कार्मिकों पर रू0 14,850=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(ख) राजस्व की क्षति :– निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध कराये जाने से रू0 14,214=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) श्री अजय अग्रवाल ठेकेदार को बिना कार्य सम्पादन कराये रू0 55,000=00 का अनियमित रूप से अग्रिम किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

(2) संविदा कर्मचारियों पर रू0 1,73,906=00 का व्यय अनियमित था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(ख) राजस्व की क्षति :– ठेका हाट बाजार हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध न करने से रू0 54,880=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

नगर पंचायत महुआ खेड़ा गंज वर्ष 2004–05 :–

राजस्व की क्षति :– निर्धारित मूल्य से कम मूल्य के स्टाम्प के रूप में राजकीय राजस्व रू0 13,210=00 की क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–8

नगर पंचायत गोचर वर्ष 2003–04 :–

व्यपहरण :– वाहन चालक द्वारा ट्रक से प्राप्त आय रू0 7,100=00 को निधि में जमा न करके सीधे व्यय करके धन का सीधे दुरूपयोग किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

नगर पंचायत नन्दप्रयाग वर्ष 2003–04 :–

(क) व्यपहरण :– लाइसेन्स शुल्क की धनराशि रू0 250=00 को निधि में जमा न करने से इसका व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– नगर पंचायत अध्यक्ष को टैक्सी किराया रू0 4,600=00 अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4

नगर पंचायत मुनि की रेती वर्ष 2004–05 :–

अनुदान सम्बन्धी अनियमिततायें :– कुम्भ मेला के विशेष भत्ता रू0 56,977=00 का भुगतान राज्य वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान से किया गया था जो अनुदान की शर्तो का विचलन था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9(3)

नगर पंचायत चम्बा वर्ष 2004–05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– शा0सं0 2425/9.1.86 दिनांक 3.4.1996 एवं शा0सं0 4649/ 9. 1.98/116–सा/98 दिनांक 6.11.1998 के निर्गतोपरान्त उप सम्परीक्षा माहों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतनादि पर रू0 68,116=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(1)

नगर पंचायत देवप्रयाग वर्ष 2004–05 :–

(क) व्यपहरण :– पंचायत द्वारा आयकर, बिक्रीकर हेतु आहरित क्रमशः रू0 55,126=00 एंव रू0 94,236=00 एवं रू0 92,236=00 जमा कराये गये थे। अन्तर रू0 3,470=00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–(1)(क)

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) व्यय प्रमाणक संख्या 16 एवं 17 माह अक्टूबर, 2004 द्वारा ठेकेदारी रजिस्ट्रेशन शुल्क रू0 7,000=00 की वापसी अनियमित थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ख)

(2) शा0सं0 1803/कार्मिक–2/2002/6.2.2003 के प्राविधानों के विपरीत कार्यरत 7 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रू0 1,53,300=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(3)

(ग) अनुदान सम्बन्धी अनियमिततायें :– (1) भगवती निर्माण कुण्डल हेतु प्राप्त अनुदान रू 12,75,000=00 के सापेक्ष रू0 9,47,500=00 का भुगतान बिना बिल अनुरक्षित किये एवं माप लिये बिना करके गम्भीर वित्तीय अनियमितता की गयी थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9(2)

नगर पंचायत कीर्तिनगर वर्ष 2004–05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– शा0सं0 2425/9.1.1986 दिनांक 3.4.1996 के प्राविधानों के विपरीत रू0 21,600=00 का अनियमित व्यय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों हेतु किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–8(2)

नगर पंचायत गंगोत्री वर्ष 2004–05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– शा0सं0 2425/9.1.86 दिनांक 3.4.1996 के प्राविधानों के वावजूद दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ कर्मचारियों की नियुक्ति पर रू0 1,51,040=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 (क)

नगर पंचायत बड़कोट वर्ष 2004–05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) श्री प्रेम सिंह रावत एवं श्री प्रेम सिंह राणा राजस्व मोहर्रिर की बिना पद सृजन के नियुक्ति करने के फलस्वरूप इनके वेतनादि पर रू0 1,50,000=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 क(2)

(2) शा0सं0 2425/9.1.86 दिनांक 3.4.96 एवं 4649/9.1.96–116 सा/98/6.11.98 के प्राविधानों के विपरीत उप सम्परीक्षा माहों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर रू0 66,882=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1 क(3)

नगर पंचायत द्वाराहाट वर्ष 2004–05 :–

आर्थिक क्षति :– अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार पाँच वर्षो के पश्चात् दुकानों के किराये में बृद्धि न किये जाने से निकाय को रू0 30,676=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(अ)

उत्तरांचल चाय बोर्ड, अल्मोड़ा

उत्तरांचल टी बोर्ड, अल्मोड़ा वर्ष 2003–04 एवं 2004–05 :–

(क) आर्थिक क्षति :– (1) नर्सरी से 1,09,536 चाय पौध अधिक निर्गमन से रू0 5,41,979=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(1)

(2) पौधालय में 2,45,925 चाय पौध अवशेष में कम दर्शाये जाने से रू0 8,93,588=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)(2)

(ख) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) प्रति पौध की लागत सीमा से अधिक क्रय किये जाने से रू0 7,98,294=00 नर्सरी पर अधिक व्यय किया गया।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)(1)

(2) पौधरोपण में निर्धारित मानव दिवस प्रति है0 प्रति वर्ष की सीमा का अनुपालन न करने पर रू0 2,82,404=00 का अधिक व्यय किया गया।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)(2)

(3) निर्गत चाय पौध से अधिक पौधारोपण दर्शाये जाने से रू0 5,100=00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1)

इंजीनियरिंग कालेज

कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कालेज द्वाराहाट वर्ष 2002–03 से 2003–04 :–

(क) व्यपहरण/दुर्विनियोग के प्रकरण :– अग्रिम धन प्राप्ति के कई माह पश्चात् वास्तविक क्रय किये जाने से रू0 60,500=00 का अस्थायी दुर्विनियोग किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(ख) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– यात्रा मद में रू0 10,412=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)(1)(2)

(ग) अधिष्ठान से सम्बन्धित अनियमिततायें :– अध्यापकों एवं कर्मचारियों को त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने के फलस्वरूप रू0 22,153=00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)(1)(2)(3)(4)

(घ) राजस्व की क्षति :– संस्थान के आवासीय भवनों पर भूतपूर्व अध्यापकों/कर्मचारियों के अनधिकृत कब्जे के कारण रू0 3,06,335=00 किराये की वसूली नही करने के कारण आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)

(ड.) अन्य विविध अनियमिततायें :– विभागीय भण्डार पंजी में रू0 1,00,700=00 मूल्य के उपकरण /सामग्री कम पाये जाने से सामग्री का दुरूपयोग किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ड.)(3)(अ)(ब)

गोविन्द बल्लभ पन्त इन्जीनियरिंग कालेज, घुडदौड़ी वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) सर्वश्री के0के0ए0 मेर प्रवक्ता एवं एन0के0 अग्रवाल, प्रवक्ता को एक बार यात्रा भत्ता दिये जाने के उपरान्त उनके संशोधित बिलों के आधार पर अतिरिक्त रू0 550=00 एवं रू0 550=00 कुल रू0 1,100=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–घ (1)

(2) विश्वविद्यालय के आदेश संख्या 516 दिनांक 21.11.2003 द्वारा परीक्षकों को पूर्ण टैक्सी का किराया प्रतिबन्धित किये जाने एवं ऐसे यात्रा भत्ता देयकों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के निदेश दिये जाने पर भी कालेज द्वारा रू0 20,256=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–(ड)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– (1) बिना पद सृजन किये 18 कर्मचारियों को भिन्न–भिन्न दरों पर संहत वेतन पर तैनात किये जाने पर रू0 3,97,115=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

(2) प्राविधिक शिक्षा अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 3260/2000–16–1–14(114)/99 दिनांक 4.8.2000 द्वारा सिक्योरिटी कार्मिकों हेतु दरें निर्धारित थी परन्तु कालेज द्वारा 49 सुरक्षा कर्मियों हेतु उच्चतर दर पर नियुक्त करके रू0 53,537=00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5(1)

(ग) आर्थिक क्षति :– वर्ष 2003–04 के लिये निर्माण निगम से वाटर चार्ज का रू0 1,89,595=00 तथा लोक निर्माण विभाग से वाटर चार्जेज का रूपया प्राप्त होना था किन्तु इसे प्राप्त न करने के कारण रू0 7,58,380 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6

विश्वविद्यालय

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0 (सामान्य लेखा) पन्तनगर वर्ष 2001–02 :–

(क) व्यपहरण :– एक ही रसीद से निर्गत बीजों को भण्डार पंजी से दो बार खारिज करने के कारण रू0 37,336=00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1

(ख) दुर्विनियोग :– रू0 90,000=00 के अस्थायी अग्रिम को 06 वर्ष तक हस्तगत रखने के बाद नकद जमा करके रू0 90,000=00 का दुर्विनियोग किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–2

(ख) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) एफ0 आर0 पी0 टैंक एंव फाइवर ग्लास टैंक के क्रय में रू0 68,960=00का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–11 एवं 13

(2) विभिन्न यात्राओं में लम्बे मार्ग से यात्रा करने, अनियमित रूप से दैनिक भत्ते लेने, यात्रा विभिन्न चरणों में करने के कारण रू0 80,229=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–14 एवं 32

(3) संहत वेतन पर कार्यरत कार्मिकों को पर्वतीय विकास भत्ते का रू0 40,440=00 अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–45

(4) परीक्षा सेल के कर्मचारियों को रू0 39,363=00, अतिकाल भत्ता रू0 7,16,055=00, चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति रू0 5,33,234=00, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रू0 5,28,880=00 एवं अतिथियों के भोजन पर दोहरा भुगतान रू0 1,440=00 करने के फलस्वरूप कुल रू0 18,18,972=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–41,46,48,51 एवं 59

(घ) अधिष्ठान से सम्बन्धित अनियमिततायें :– वेतन संरक्षण का लाभ देने, उपार्जित अवकाश नकदीकरण का अनियमित भुगतान करने तथा अनियमित रूप से वेतन बृद्धि का लाभ देने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय को रू0 1,82,054=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–61,67 एवं 68

(ड.) आर्थिक क्षति :– छात्रों द्वारा समय से पूर्व कालेज छोड़ देने से शुल्क की वसूली न करने, मरीजों से रजिस्ट्रेशन शुल्क न लेने, लिफाफों को स्टाक रजिस्टर में कम अंकित करने, अतिथि गृह में आवास का किराया न लेने, हेचडी मशीन से मानक से कम उत्पादन होने के कारण विश्वविद्यालय को रू0 81,558=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–75,76,79,80,82एवं 84

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 वि0वि0 (फार्म लेखा) पन्तनगर वर्ष 2001–02 :–

(क) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– दिनांक 01.01.1986 से पुनरीक्षित वे वेतनमान हेतु पूर्व में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित करा कर अधिकारियों/कर्मचारियों को रू0 1,29,985=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ढ)

(ख) आर्थिक क्षति :– (1) मानक से कम गेहूँ के उत्पादन होने के फलस्वरूप रू0 62,02,602=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(2) मानक से कम धान के उत्पादन के फलस्वरूप रू0 27,60,290=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

(ग) राजस्व की क्षति :– (1) व्यापार कर की वसूली न किये जाने के फलस्वरूप रू0 78,111=00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ट)

(घ) अधिक/अनियमित भुगतान :– अतिकाल/मानदेय मद में रू0 1,04,058=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–ए(घ)

हे0न0ब0 गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर (पौड़ी) वर्ष 2002–03 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों/ अनुभागों के कर्मचारियों /अधिकारियों को नैत्यिक कार्यो के निर्वहन हेतु मानदेय/ पारिश्रमिक के रूप में रू0 1,07,823=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

(2) अंक पत्र लेखन कार्य हेतु कर्मचारियों को रू0 99,929=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–10

(3) शासन द्वारा स्वीकृत दरों से उच्च दरों पर पारिश्रमिक रू0 1,80,746=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–10

(4) प्रायोगिक परीक्षा में योगदान करने हेतु प्रयोगशाला सहायकों एवं परिचरों को उच्च दरों पर भुगतान करने एवं वाहन भत्ते का अनियमित भुगतान करने के परिणामस्वरूप रू0 5,42,850=00 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–12

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– विभिन्न कर्मचारियों एवं शिक्षकों को वेतन एवं भत्तों के रूप में रू0 69,632=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–18(1)(2)(3)(4)(5)

(ग) राजस्व की क्षति :– (1) परीक्षा पारिश्रमिक के देयकों से आयकर की कटौती न करने से रू0 38,927=00 की शासकीय क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–21

(2) बी0 लिव0 एवं एम0 बी0 ए0 आदि स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रमों से हुई आय का निर्धारित 40 प्रतिशत अंश विश्वविद्यालय के मुख्य खाते में ट्रान्सफर न करने के कारण रू0 2,93,398=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–22

(3) बी0एड0 प्रवेश परीक्षा के विक्रय किये गये आवेदन पत्रों के मूल्य के निर्धारित 30 प्रतिशत से कम धनराशि मुख्य खाते को कम हस्तान्तरित करने से रू0 21,10,392=00 की आर्थिक क्षति हुई थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–24

(घ) विविध अनियमिततायें :– एस0आर0टी0 परिसर बादशाही थौल, टिहरी के प्राचार्य द्वारा विभिन्न शुल्कों से प्राप्त आय रू0 6,53,280=00 को अपने पास रोककर इसमें से रू0 1,52,380=00 को सीधे व्यय करके वित्तीय अनियमितता की गयी थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–25

(घ) अस्थायी अग्रिम :– (1) दिनांक 31.3.2003 को रू0 1,62,46,424=00 के अग्रिम असमायोजित थे। इतने समय से समायोजन न होने के कारण इनके दुरूपयोग की स्थिति विद्यमान थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–8

(2) क्रीड़ा निधि एवं बायोटैक्नोलोजी खातों से क्रमशः रू0 6,91,775=00 एवं रू0 66,000=00 अस्थायी अग्रिम भुगतान करने के उपरान्त इनका समायोजन नही किया गया और न ही अस्थायी पंजी में प्रविष्टि की गयी। जिस कारण इनके दुरूपयोग की सम्भावना थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–27

मन्दिर समितियाँ

श्री गंगोत्री मन्दिर समिति उत्तरकाशी वर्ष 2004–05 :–

(क) व्यपहरण :– धर्मशाला की रसीद सं0 4314 से 4317/ जून, 2004 द्वारा प्राप्त रू0 250=00 के सापेक्ष रू0 200=00 जमा करके रू0 50=00 कम जमा, धर्मशाला की रसीद सं0 4720/48 दिनांक 20.11.2004 द्वारा प्राप्त रू0 2,500=00 तथा मैसर्स विनायक इलैक्ट्रिकल्स से माह जनवरी, 2004 में प्राप्त राशि रू0 5,000=00, को समिति कोष में जमा न करके कुल रू0 7,550=00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–1(1)(2)(3)

(ख) अधिक/अनियमित एवं अमान्य भुगतान :– व्यय प्रमाणक संख्या 525 दिनांक 21.3.2005 द्वारा श्री सतीश, सचिव एवं श्री हरीश सेमवाल सहसचिव को माह फरवरी, 2005 का मानदेय क्रमशः रू0 3,000=00 एवं रू0 2,000=00 कुल रू0 5,000=00 का भुगतान किया गया था परन्तु रोकड़बही के अनुसार उन्हें व्यय प्रमाणक संख्या 531 के पश्चात् उक्त व्यय प्रमाणक द्वारा ही रू0 5,000=00 का भुगतान दर्शाकर अवशेष कम कर दिया गया था। इस प्रकार रू0 5,000=00 का अधिक आहरण किया गया।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

श्री केदारनाथ मन्दिर समिति ऊखीमठ (रूद्रप्रयाग) अवधि 2003–04 :–

(क) व्यपहरण :– (1) भोग मण्डी से विभिन्न तिथियों में विभिन्न रसीदों के साथ रू0 757=00 को समिति निधि में जमा न करने से धनराशि का व्यपहरण हो गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) विभिन्न पूजाओं से विभिन्न तिथियों में प्राप्त धनराशियों में से पूर्ण धनराशि जमा न करके रू0 2,010=00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ख)

(ख) अस्थायी अग्रिम :– वर्षान्त में रू0 1,06,186=00 की धनराशि विभिन्न कर्मचारियों पर अग्रिम असमायोजित थे।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

श्री बद्रीनाथ मन्दिर समिति जोशीमठ अवधि 2003–04 :–

(क) व्यपहरण :– विभिन्न तिथियों में प्राप्त पूजा, थाली भेंट, अटका भोग, मनीआर्डर एवं बस टर्मिनल की आय रू0 8,177=00 को समिति कोष में जमा न करके व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–क

(ख) अस्थायी अग्रिम :– विभिन्न कर्मचारियों पर रू0 3,79,647=00 के अग्रिम असमायोजित थे।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

बेसिक शिक्षा समितियाँ

बेसिक शिक्षा समिति नई टिहरी वर्ष 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– (1) शा0सं0 1161/28.4.2000 –2(14)/91 दिनांक 31 मई, 2000 में अनुमन्य पर्वतीय विकास भत्ते की दरों से अधिक दर से रू0 2,26,780=00 का अध्यापकों/कर्मचारियों को अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5 (ख)

(2) परिवार कल्याण योजनान्तर्गत अधिक दर पर वेतन बृद्धि का रू0 24,975=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5 (ग)(1)

(ख) अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें :– वेतन के अशुद्ध निर्धारण के फलस्वरूप 7 अध्यापकों को रू0 67,830=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5 (ड.)(।)

बेसिक शिक्षा समिति पौड़ी वर्ष 2001–02 से 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित भुगतान :– (1) पति–पत्नी एक ही आवास में आवासित होने तथा दोनों शासकीय सेवा में होनेपर दोनो को रू0 25,425=00 मकान किराया भत्ता का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(2) पदोन्नति का अवसर छोड़ देने वाले शिक्षकों को भी चयन वेतनमान में रू0 1,24,440=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ख)

(ख) विविध अनियमिततायें :– (1) विद्यालय भवन हेतु प्राप्त धनराशि में से रू0 13,600=00 की वसूली श्रीमती तारा राणा से नही करना अनियमित था।

(2) रू0 11,120=00 का व्यय विद्यालय भवन निर्माण के मद में सत्यापित नही कराया गया।

(3) कन्या उच्च विद्यालय दुगड्डा क्षेत्र में रू0 86,000=00 का कार्य कम होने के कारण इस धनराशि का दुरूपयोग हुआ था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)

(ग) व्यपहरण :– चैकों से आहरित धनराशि रू0 56,104=00 टाईप राइटर क्रय हेतु आहरित धनराशि रू0 9227=00, मास मीडिया हेतु दर्शाये गये व्यय रू0 4,000=00 कुल 69,431=00 का व्यपहरण किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(च)

बेसिक शिक्षा समिति हरिद्वार वर्ष 2003–04 :–

विविध अनियमिततायें :– जनपद सहारनपुर से इस जनपद की जी0पी0एफ0 की कटौती की गयी थी। जी0पी0एफ0 की धनराशि नवम्बर, 1992 में रू0 15,00,000=00 माह जनवरी, 1996 में रू0 5,54,125=00 प्रेषित किया गया, जिसे पी0एल0ए0 में जमा किया गया था किन्तु इस धनराशि पर ब्याज नही प्रेषित किया गया था, जो वर्ष 2004–05 तक रू0 4,62,00,000=00 होता है। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र रूड़की एवं नगर क्षेत्र मंगलौर की जी0पी0एफ0 धनराशि हस्तान्तरित होनी शेष थी। जी0पी0एफ0 की धनराशि ब्याज सहित प्राप्त किये जाने की कार्यवाही अपेक्षित है।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1,1(1)

विकास प्राधिकरण

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार वर्ष 2002–03 :–

राजस्व की क्षति :–(1) आवासीय क्षेत्र में व्यावसायिक मानचित्र स्वीकृत करने के कारण प्राधिकरण को रू0 12,00,000=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(2) सव डिवीजन शुल्क न लिये जाने के कारण प्राधिकरण को रू0 23,474=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(घ)

(3) मानचित्र/हरि0 /98 /2002–03 में शमन शुल्क न लिये जाने के कारण प्राधिकरण को रू0 6,93,894=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

(4) मानचित्र/हरि0/150/2002–03 में भू परिवर्तन /विकास शुल्क न लिये जाने के कारण प्राधिकरण को रू0 6,83,858=00 एवं 6,958=00 अर्थात् कुल 6,90,816=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(3),1(6)

(5) उपविभाजन शुल्क न लिये जाने के कारण प्राधिकरण को रू0 2,305=00 एवं 9,138=00 कुल रू0 14,463=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(5),1(4)

(6) जे0सी0बी0 का किराया न प्राप्त होने के कारण प्राधिकरण को रू0 59,850=00 की हानि हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(10)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार वर्ष 2003–04 :–

असमायोजित अग्रिम :– अग्रिम की धनराशि का समायोजन न होने से रू0 6,83,80,000=00 की धनराशि अवरूद्ध हो गयी थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(1)

विविध अनियमिततायें :– अवैध निर्माण कार्य कराये जाने के वावजूद श्रीमती मंजूराम शर्मा पत्नी श्री जुगुल किशोर शर्मा से रू0 65,408=00 की वसूली न करना वित्तीय अनियमितता थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(2)

अधिक एवं अनियमित भुगतान :– मै0 गायत्री सिक्योरिटी सर्विसेज से प्राप्त जनशक्ति का उपयोग न सत्यापित होने के कारण इन्हें रू0 54,406=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(4)

राजस्व की क्षति :– प्रकाश व्यवस्था हेतु क्राम्टन ग्रीब्स से किये गये अनुबन्ध स्टाम्प पेपर पर न करने से रू0 83,200=00 के राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(6)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ

कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर वर्ष 2001–02 से 2004–05 :–

राजस्व की क्षति :– कैन्टीन नीलामी के अनुबन्ध में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प न लगाये जाने से रू0 17,500=00 के राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–4

कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा (उधमसिंह नगर) वर्ष 2003–04 से 2004–05 :–

राजस्व की क्षति :– (1) पंजीकृत ठेकों से रू0 8,572=00 आयकर की कटौती न किये जाने से राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

(2) रू0 6,671=00 आयकर/व्यापार कर का राजकोष में जमा न किये जाने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3(2)

आर्थिक क्षति :– फर्मो से मण्डी शुल्क विलम्ब से जमा करने पर रू0 11,622=00 ब्याज का न लिये जाने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–5

कृषि उत्पादन मण्डी समिति काशीपुर वर्ष 2004–05 :–

राजस्व की क्षति :– कैन्टीन नीलामी में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध न कराये जाने से रू0 20,120=00 की राजकीय राजस्व की क्षति हुई।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–13

कृषि उत्पादन मण्डी समिति बाजपुर वर्ष 2003–04 :–

राजस्व की क्षति :– विद्युत परिषद को हस्तान्तरित 588 वर्गमीटर भूमि से समिति को रू0 1,01,724=00 की कम प्राप्ति एवं विद्युत परिषद द्वारा 188=5 वर्गमीटर भूमि में अवैध कब्जा किये जाने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–9

कृषि उत्पादन मण्डी समिति ऋषिकेश वर्ष 2004–05 :–

आर्थिक क्षति :– वर्ष 1992/1996 में विभिन्न दुकानें विभिन्न व्यापारियों को आवंटित की गयी थी। अनुबन्ध की किराया बढ़ाने की शर्तो के अनुसार प्रत्येक 3/5 वर्ष के उपरान्त किराये में न्यूनतम 10/15/20 प्रतिशत की बृद्धि होने थी किन्तु मण्डी द्वारा ए0सी0 1,टीन सेड में मात्र एक बार बृद्धि की गयी। जिस कारण आलोच्य वर्ष में रू0 1,70,874=00 की आर्थिक क्षति हुई।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2

उत्तरांचल राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर (अस्थायी कार्यालय हल्द्वानी) वर्ष 2003–04 :–

(क) अधिक/अनियमित /अमान्य भुगतान :– (1) स्थानीय कटान में उपलब्ध पत्थर के स्थान पर ढुलान वाला पत्थर प्रयुक्त किये जाने से रू0 2,16,943=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(क)

(2) कोटद्वार मण्डी क्षेत्रान्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण में दरों के आगणन में त्रुटि के फलस्वरूप परिषद द्वारा ठेकेदार को रू0 1,77,688=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ख)

(3) सम्पर्क मार्ग के निर्माण में मैक्स फाल्ट के मूल्य की वसूली न किये जाने एवं अवशेष मैक्सफाल्ट की वसूली न करने के फलस्वरूप परिषद द्वारा ठेकेदार को रू0 1,15,079=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ग)

(4) नगर पालिका परिषद रूद्रपुर के क्षेत्रान्तर्गत रोड लाइट लगाये जाने के कारण परिषद द्वारा ठेकेदार को अनियमित रूप से रू0 2,08,761=00 का भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(घ)

(5) रोलिंग टेरेन क्षेत्रों में पर्वतीय क्षेत्र की दरों से ढुलान का भुगतान करने के कारण परिषद द्वारा ठेकेदार को रू0 32,618=00 एवं 4,98,299=00 कुल रू0 5,30,917=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ड.),4(च)

(6) किच्छा मण्डी क्षेत्रान्तर्गत सन्तोषजनक कार्य न होने पर भी परिषद द्वारा रू0 1,48,091=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ज)

(7) अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान से सामग्री का ढुलान दर्शाये जाने के कारण परिषद द्वारा रू0 16,209=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ड)

(8) गो संबर्धन, खरीफ गोष्ठी में भोजन आदि की व्यवस्था पर मण्डी अधिनियम नियमावली में प्राविधान न होने पर भी परिषद द्वारा रू0 4,15,594=00 एवं 29,634=00 कुल रू0 5,45,228=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(थ)(द)

(9) मृतक आश्रितों में सम्पूर्ण आर्थिक सहायता के भुगतान में से तत्काल आर्थिक सहायता के भुगतान के समायोजन किये बगैर रू0 20,000=00 परिषद द्वारा अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(ध)

(10) पत्रकारों को उपहार, उपनिदेशक(निर्माण) मोवाइल बिलों का भुगतान क्रमशः रू0 20,360=00 एवं 18,378=00 कुल रू0 38,738=00 का अनियमित भुगतान परिषद द्वारा किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–4(न)(प)

(11) निर्गत निर्माण सामग्री की वसूली न करने से परिषद द्वारा विभिन्न ठेकेदारों को रू0 8,198=00, 10,98,457=00 एवं 84,000=00 कुल रू0 11,80,655=00 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(ख),10(क)(ख)

(ख) विविध अनियमिततायें :– मण्डी समितियों से नमी मापक यन्त्रों का मूल्य रू0 2,70,270=00 परिषद द्वारा प्राप्त नही करना गम्भीर अनियमितता थी।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–6(क)

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, उत्तरांचल वर्ष 2004–05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– शासनादेश संख्या 121/27(3)/2005 दिनांक 20 मार्च, 2005 द्वारा कर्मचारियों को रू0 750=00 मानदेय अनुमन्य था, जबकि उसके विरूद्ध 10 कर्मचारियों को रू0 8,672=50 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग–प्रथम प्रस्तर–3(2)

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल वर्ष 2003–04 व 2004–05 :–

(क) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– वर्ष 2003–04 व 2004–05 में खेल एवं युवा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डी0एस0बी0 कालेज परिसर में एकीकरण शिविर आयोजित करने की स्वीकृति के आधार पर फरवरी, 2004 में एकीकरण शिविर पर रू0 55,625=00 का व्यय किया गया था जिसका भुगतान एन0एस0एस0 सामान्य कार्यक्रम के मद से किया गया था जिसकी क्षतिपूर्ति न होने से यह भुगतान अमान्य था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–3

राष्ट्रीय सेवा योजना (माध्यमिक) नैनीताल वर्ष 2003–04 से 2004–05 :–

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– विभिन्न शिक्षण संस्थाओं द्वारा शासनादेश द्वारा निर्धारित मानक से उच्च दर पर रू0 10,100=00 का अधिक मानदेय भुगतान किया गया था।

भाग–दो(अ) प्रस्तर–2(क)(ख)(ग)

राष्ट्रीय सेवा योजना गोविन्द बल्लभ पन्त कृ0 एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर वर्ष 2003–04

अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान :– विशेष शिविर कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वयक को दिये गये अस्थायी अग्रिम के समायोजन लेखे के अनुसार साइकिल स्टैण्ड निर्माण हेतु एंगिल आयरन एवं जी0सी0 शीट पर रू0 20,041=00 का व्यय किया गया था परन्तु मजदूरी एवं सामग्री आदि पर व्यय न होने के कारण उक्त व्यय अमान्य था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(1)

डिग्री कालेज

एस0डी0पी0सी0 गर्ल्स डिग्री कालेज रूड़की वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 :–

(क) राजकीय अनुदान सम्बन्धी अनियमिततायें :– वर्ष 2002–03 में 149 अनुसूचित जाति के छात्रों का शिक्षा शुल्क रू0 132=00 की दर से रू0 19,668=00 का 80 प्रतिशत रू0 15,734=40 वेतन संदाय खाते में हस्तान्तरित नही करने के कारण वेतन खाते में अनुदान अधिक स्वीकृत हुआ।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

(ख) आर्थिक क्षति :– वर्ष 2002–03 में फार्म/प्रास्पेक्ट्स से रू0 20=00 प्रति फार्म की दर से रू0 14,960=00 की आय हुई थी। जबकि वर्ष 2002–03 में 1474 फार्म बिक्रय करने के उपरान्त मात्र रू0 14,960=00 ही जमा हुए। शेष रू0 14,520=00 की क्षति हुई थी।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(ग)

संस्कृत महाविद्यालय

ऋषि संस्कृत महाविद्यालय हरिद्वार 2002–03 से 2004–05 :–

व्यपहरण के प्रकरण :– राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से दिनांक 19.7.2002 को रू0 12,925=00 डा0 सतीश कुमारी, प्राचार्या के नाम भेजा गया था। किन्तु इस राशि की प्राप्ति व व्यय रोकड़बही में अंकित न होने के कारण दुर्विनियोग किया गया था।

भाग–दो(ब) प्रस्तर–1(क)

परिशिष्ट –"क" भाग–1
(प्रस्तर–3.1 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क0सं0	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1–	नगर निगम	01
2–	नगर पालिका परिषद	31
3–	नगर पंचायतें	33
4–	विकास प्राधिकरण	05
5–	विश्व विद्यालय	01
6–	डिग्री कालेज	13
7–	इण्टर कालेज	196
8–	जूनियर हाई स्कूल	236
9–	संस्कृत पाठशालाऐं	63
10–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियां	16
11–	ट्रस्ट लेखें	76
12–	विविध लेखे	226
13–	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
14–	बेसिक शिक्षा समितियॉ	13
15–	वन विकास निगम	01
16–	उत्तरांचल चाय विकास बोर्ड	01
	योग	**913**

परिशिष्ट– "क" भाग–2

(प्रस्तर–3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षाऐं :–

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रो0 विश्वविद्यालय पन्तनगर	(सामान्य लेखा)	01
(2) ——————"——————	(फार्म लेखा)	01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल।		01
(4) उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंह नगर।		01
योग		**04**

(ख) शत–प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :–

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियॉ		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
योग		**12**

परिशिष्ट – "ख"

(प्रस्तर–3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :–

1– नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2– नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3– नगर पंचायतें	———"———
4(क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियां	उ0प्र0 कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम–1964
4(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	———"———
5(क) जिला बेसिक शिक्षा समितियॉ	उ0प्र0 बेसिक शिक्षा अधिनियम–1972
5(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	———"———
6– राज्य विश्वविद्यालय	उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973
7– विकास प्राधिकरण	उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम–1973
8– वन निगम	उ0प्र0 वन निगम अधिनियम–1974
9– महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टर – मीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10– कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तद्धीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।

वित्तीय – नियमावलियॉ

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड –दो,तीन,पॉच,छः	––	सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	––	सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय–समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	––	सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
मैनुअल आफ गवर्नमेन्ट आर्डरस	––	सामान्य रूप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट –"ग"

(प्रस्तर–5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट–1892/दस–78–355(10) दिनांक 21 जून,1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :–

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 2500=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 100=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) रू0 65000=00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 75=00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा दर :–

(1) रू0 65000=00से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रू0 65000=00से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रू0 800=00
(3) रू0 एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रू0 10000=00या उसके अंश पर	रू0 30=00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रू0 500=00

(च) शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

शत–प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(छ) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :–

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नही है सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्तविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट– ''घ''

(प्रस्तर–7.1 में सन्दर्भित)

क्र0सं0	जनपद का नाम	पता (Address)	टेलीफोन संख्या
1	देहरादून	8–ए बंगाली मौहल्ला, करनपुर, देहरादून। पिनकोड–248001	0135–2744075
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद परिसर, हरिद्वार।	01334–220955
3	नई टिहरी (गढ़वाल)	विकास भवन नई टिहरी। पिनकोड–249148	01376–232805
4	पौड़ी (गढ़वाल)	माल रोड पौड़ी	01368–223477
5	चमोली	पैट्रोल पम्प/नगर पालिका परिषद के नीचे गोपेश्वर (चमोली)।	01372–252226 पी0पी0
6	उधमसिंह नगर	जिला पंचायत परिसर, प्रथम तल (रूद्रपुर) उधम सिंह नगर	05944–241255 पी0पी0
7	नैनीताल	हरि निवास मिडिल अयार पाटा, मल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड़–263001	05942–237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग, अल्मोड़ा। पिनकोड–263601	05962–233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड, पिथौरागढ़। पिनकोड़– 262522	05964–228251 पी0पी0

परिशिष्ट– "ड."

(प्रस्तर–7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :–

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूँ।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूँ।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)।

राज्य स्तरीय कार्यालय :–

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम नरेन्द्र नगर (अस्थायी मुख्यालय– देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तरांचल कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट "च"

प्रस्तर–10.1.1(ख) में सन्दर्भित

लेखेवार अनिस्तारित आपत्तियो का विवरण

क्र0सं0	संस्थाओं का नाम	01 अप्रैल,05 को प्रा0 शेष	वर्ष में आरोपित	योग	वर्ष में निस्तारित	31 मार्च,06 को अवशेष
1–	नगर निगम	5715	––	5715	––	5715
2–	नगर पालिकायें	15472	743	16215	1018	15197
3–	नगर पंचायतें	4317	222	4539	93	4446
4–	शिक्षण संस्थायें	15313	197	15510	197	15313
5–	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	1208	12	1220	41	1179
6–	उत्तरांचल राज्य कृ0उ0 मण्डी परिषद	59	53	112	12	100
7–	क्षेत्र समितियाँ	2238	––	2238	––	2238
8–	चैकित्सिक संस्थायें	552	––	552	––	552
9–	ट्रस्ट लेखे	200	––	200	12	188
10–	विविध लेखे	5341	––	5341	––	5341
11–	बेसिक शिक्षा समितियाँ	5007	115	5122	––	5122
12–	महाविद्यालय	3932	––	3932	––	3932
13–	विकास प्राधिकरण	1287	10	1389	29	1360
14–	मन्दिर समितियाँ	220	126	346	106	240
15–	म्यूनिस्पिल फारेस्ट	278	––	278	––	278
16–	जिला नगरीय विकास अभिकरण	531	––	531	––	531
17–	पालीटेक्निक संस्थायें	245	––	245	––	245
18–	इन्जीनियरिंग कालेज	592	66	658	192	466
19–	विश्वविद्यालय					
	(क) कुमाऊँ विश्वविद्यालय	1442	––	1442	72	1370
	(ख) गढ़वाल विश्वविद्यालय	2913	––	2913	274	2639
20–	कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यायल					
	(क) सामान्य लेखा	1999	––	1999	118	1881
	(ख) फार्म लेखा	4130	––	4130	02	4128
	योग	72991	1636	74627	2166	72461

परिशिष्ट "छ"

प्रान्तीय न्यासों की सूची
(प्रस्तर 11.1 में सन्दर्भित)

1– तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
2– पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
3– पद्मा जोशी फण्ड अल्मोड़ा।
4– लक्ष्मी देवी मैडल एण्डा0 ट्रस्ट, अल्मोड़ा।
5– हरिनन्दन पुनेठा, स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट, चम्पावत।
6– विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्ज़र्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोड़ा।
7– नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलान, मसूरी।
8– राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।
9– टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।
10–स्टावेल मैमोरियल एण्डा0 ट्रस्ट, गढ़वाल।
11–गढ़वाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट, गढ़वाल।
12–आर0 मिस्टिस डे मेडल एण्डा0 ट्रस्ट यू0पी0 गढ़वाल।
13–गढ़वाल क्ले मेमोरियल स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।
14–राय महाबीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डा0 ट्रस्ट, गढ़वाल।
15–चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डा0 ट्रस्ट, गढ़वाल।
16–पं0 तारादत्त खण्डूरी, स्कालरशिप एण्ड0 ट्रस्ट, गढ़वाल।
17–ठाकुर सालिग्रामसिंह परमार स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट गढ़वाल।
18–गोविन्द पाठशाला एण्डा0 ट्रस्ट फण्ड।
19–विक्ट्रो मैमोरियल गढ़वाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोलेंट फण्ड।
20–श्रीमती सुशीला काला छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।
21–कुमायूँ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।
22–बच्चा सीडसइण्डिजेंण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।
23–रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।
24–बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट, नैनीताल।
25–राधेहरि स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट, उधमसिंह नगर।
26–लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजूकेशन एण्डा0 ट्रस्ट फण्ड।
27–राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट फण्ड।
28–श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर हनुमानगढ़, नैनीताल।
29–श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।
30–टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डा0 रूड़की।
31–विजयानगरम् स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।
32–फेयरलो मैमोरियल फण्ड।
33–कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।
34–सुल्तीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डा ट्रस्ट
35–जनरल अप्रैंटिस फण्ड, रूड़की वर्कशाप।
36–बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।
37–फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।
38–गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।
39–सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40–सदर डिस्पेंसरी फण्ड, रूड़की।
41–रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डा0 ट्रस्ट
42–गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।
43–लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डा0 ट्रस्ट फण्ड।
44–शीलाप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।
45– श्रीमती सरस्वती विष्ट स्कालरशिप एण्डा0 फण्ड, अल्मोड़ा।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट "ज"

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद सितारगंज	2000–01 से 2003–04	—	23052=00	30026=00	2266684=00	42245=00	—	—	—	2362007=00
2	नगर पालिका परिषद किच्छा	2000–01 से 2003–04	—	774027	—	—	—	360190=00	—	—	1134217=00
3	नगर पालिका परिषद नैनीताल	2003–04	—	254186=00	—	—	108888=00	—	—	—	363074=00
4	नगर पालिका परिषद भवाली	2003–04	—	—	—	—	51746=00	16290=00	—	—	68036=00
5	नगर पालिका परिषद रूद्रपुर	2002–03 से 2003–04	—	531339	—	—	—	157410=00	—	—	688749=00
6	नगर पालिका परिषद हल्द्वानी	2001–02 से 2003–04	—	783153=00	—	—	477000=00	—	237858=00	—	1498011=00
7	नगर पालिका परिषद बाजपुर	2003–04 व 2004–05	—	1359164=00 —	—	—	—	153920=00	—	—	1513084=00
8	नगर पालिका परिषद रामनगर		—	81534=00	—	—	29195=00	—	187965=00	—	298694=00
9	नगर पालिका परिषद जसपुर	2004–05	—	41300=00	—	—	—	—	—	—	41300=00
10	नगर पालिका परिषद गोपेश्वर	2003–04	—	—	1350946=00	—	30500=00	—	90705=00	—	1472151=00
11	नगर पालिका परिषद पौड़ी	2003–04 व 2004–05	—	—	—	—	21100=00	—	—	—	21100=00
12	नगर पालिका परिषद जोशीमठ	2004–05	434=00	—	—	—	37600=00	—	—	—	38034=00
13	नगर पालिका परिषद दुगड्डा	2004–05	—	—	—	175079=00	—	24563=00	—	—	199642=00
14	नगर पालिका परिषद कोटद्वार		—	76100=00	—	—	—	35235=00	—	—	111335=00
15	नगर पालिका परिषद रूड़की		—	38841=00	—	—	767260=00	—	—	—	806101=00
16	नगर पालिका परिषद हरिद्वार	2003–04	—	2319884=00	—	—	36000=00	—	—	—	2355884=00
17	नगर पालिका परिषद मंगलौर	2003–04	—	481835=00	—	—	—	28800=00	—	—	510635=00
18	नगर पालिका परिषद बाजपुर	2003–04 व 2004–05	—	837769=00	—	—	—	153920=00 —	—	—	991689=00
19	नगर पालिका परिषद नरेन्द्रनगर	2004–05	3138=00	361448=00	—	—	—	—	—	—	364586=00
20	नगर पालिका परिषद नई टिहरी	2004–05	—	3287709=00	—	—	—	461000=00	—	—	3748709=00
21	नगर पालिका परिषद उत्तरकाशी	2004–05	—	141166=00	—	—	—	—	—	—	141166=00
22	नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा	2004–05	—	613012=00	—	—	—	—	216433=00	—	829445=00
23	नगर पालिका परिषद बागेश्वर	2003–04 व 2004–05	—	71709=00 569955=00	—	—	—	—	461000=00	—	1102664=00
	योग		3572=00	12647183=00	1380972=00	2441763=00	1601534=00	1391328=00	1193961=00	—	20660313=00

नगर पंचायतें

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक / अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनि –योग के प्रकरण	अनानुमोदित / विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	नगर पंचायत गंगोत्री	2004–05	—	151040=00	—	—	—	—	—	—	—	151040=00
2	नगर पंचायत दिनेशपुर	2004–05	—	89759=00	—	—	—	58027=00	—	—	—	147786=00
3	नगर पंचायत महुआ डाबरा	2004–05	—	24850=00	—	—	—	14214=00	—	—	—	39064=00
4	नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी	2004–05	—	228906=00	—	—	—	54880=00	—	—	—	283786=00
5	नगर पंचायत महुआखेड़ा	2004–05	—	—	—	—	—	13310=00	—	—	—	13310=00
6	नगर पंचायत गोचर	2003–04	—	7100=00	—	—	—	—	—	—	—	7100=00
7	नगर पंचायत नन्दप्रयाग	2003–04	250=00	4600=00	—	—	—	—	—	—	—	4850=00
8	नगर पंचायत मुनि की रेती	2004–05	—	—	—	56977=00	—	—	—	—	—	83687=00
9	नगर पंचायत चम्बा	2004–05	—	68116=00	—	—	—	—	—	—	—	68116=00
10	नगर पंचायत देवप्रयाग	2004–05	3470=00	160300=00	—	947500=00	—	—	—	—	—	491270=00
11	नगर पंचायत कीर्तिनगर	2004–05	—	21600=00	—	—	—	—	—	—	—	21600=00
12	नगर पंचायत गंगोत्री	2004–05	—	151040=00	—	—	—	—	—	—	—	151040=00
13	नगर पंचायत बड़कोट	2004–05	—	216882=00	—	—	—	—	—	—	—	216882=00
14	नगर पंचायत द्वाराहाट	2004–05	—	—	—	—	569955=00	—	—	—	—	569955=00
	योग		3720=00	1124193=00	—	1004477=00	569955=00	140431=00	—	—	—	2842776=00

उत्तरांचल चाय बोर्ड

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनि –योग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	उत्तरांचल टी बोर्ड, अल्मोड़ा	2003–04 व 2004–05	—	1878992=00	—	—	1435567=00	—	—	—	—	3314559=00
	योग		—	1878992=00	—	—	1435567=00	—	—	—	—	3314559=00

इन्जीनियरिंग कालेज

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनि –योग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमितताय ें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कुमाऊँ इन्जीनियरिंग कालेज द्वाराहाट	2002–03 व 2003–04	60500=00	111112=00	22153=00	—	—	306335=00	—	—	—	500100=00
2	गोविन्द बल्लभ पन्त इन्जी– नियरिंग कालेज घुड़दौड़ी	2003–04	—	21356=00	450652=00	—	758380=00	—	—	—	—	1230388=00
	योग		60500=00	132468=00	472805=00	—	758380=00	306335=00	—	—	—	1730488=00

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि– ततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनि–योग के प्रकरण	अनानु–मोदित /विविध अनियमि– ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय श्रीनगर (गढ़वाल)।	2002–03	—	1584628=00	69632=00	—	—	2442717=00	17004199=00	—	—	21101176=00
2	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर (फार्म लेखा)	2001–02	—	104058=00	129985=00	—	8962892=00	78111=00	—	—	—	399549=00
3	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)	2001–02	37336=00	2008601=00	182054=00	—	81558=00	—	—	90000=00	—	2309549=00
	योग		37336=00	3697287=00	381671=00	—	9044450=00	2520828=00	17004199=00	90000=00	—	32775771=00

मन्दिर समितियाँ

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि– ततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु–मोदित /विविध अनियमि– ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	गंगोत्री मन्दिर समिति उत्तरकाशी।	2002–03 से 2004–05	7550=00	5000=00	—	—	—	—	—	—	—	12550=00
2	श्री केदारनाथ मन्दिर समिति	2001–02	2767=00	—	—	—	—	—	106186=00	—	—	106953=00
3	बद्रीनाथ मन्दिर समिति		8177=00	—	—	—	—	—	379647=00	—	—	379647=00
	योग		18494=00	5000=00	—	—	—	—	485833=00	—	—	509327=00

बेसिक शिक्षा समितियाँ

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि– तायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु– मोदित /विविध अनियमि– तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	बेसिक शिक्षा समिति नई टिहरी।	2004–05	—	251755=00	67830=00	—	—	—	—	—	—	319585=00
2	बेरिक शिक्षा समिति पौड़ी	2001–02 से 2003–04	69431=00	25425=00	124440=00	110720=00	—	—	—	—	—	330016=00
3	बेसिक शिक्षा समिति हरिद्वार	2003–04	—	—	—	—	—	—	—	46200000	—	46200000=00
	योग		69431=00	277180=00	192270=00	110720=00	—	—	—	46200000	—	46849601=00

विकास प्राधिकरण

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि– तायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु– मोदित /विविध अनियमि– तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार।	2002–03 व 2003–04	—	54406=00 65408=00	—	—	—	2670497=00 83200=00	68380000=00	—	—	71113503=00
	योग		—	119814=00	—	—	—	2762697=00	68380000=00	—	—	71262511=00

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि–तायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु–मोदित /विविध अनियमि–तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद हल्द्वानी।	2003–04	—	3468583=00	—	—	—	—	—	—	—	3468583=00
	योग		—	3468583=00	—	—	—	—	—	—	—	3468583=00

कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि–तायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु–मोदित /विविध अनियमि–तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कृषि उत्पादन मण्डी समिति जसपुर।	2001–02 से 2004–05	—	—	—	—	—	17500=00	—	—	—	17500=00
2	कृषि उत्पादन मण्डी समिति किच्छा।	2003–04 व 2004–05	—	—	—	—	11622=00	15243=00	—	—	—	26865=00
3	कृषि उत्पादन मण्डी समिति काशीपुर।	2004–05	—	—	—	—	—	20120=00	—	—	—	20120=00
4	कृषि उत्पादन मण्डी समिति बाजपुर।	2003–04	—	—	—	—	—	101724=00	—	—	—	101724=00
5	कृषि उत्पादन मण्डी समिति ऋषिकेश।	2004–05	—	—	—	—	170874=00	—	—	—	—	170874=00
	योग		2845080=00	—	—	—	182496=00	154587=00	—	—	—	337083=00

राज्य विधि सेवा प्राधिकरण

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक / अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित / विविध अनियमितताये	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।	2004–05	—	8672=00	—	—	—	—	—	—	—	8672=00
	योग		—	8672=00	—	—	—	—	—	—	—	8672=00

राष्ट्रीय सेवा योजना

क्र0 स0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक / अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित / विविध अनियमितताये	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कुमाऊँ विश्वविद्यालय	2003–04 व 2004–05	—	55625=00	—	—	—	—	—	—	—	55625=00
2	(माध्यमिक) नैनीताल	2003–04 व 2004–05	—	10100=00	—	—	—	—	—	—	—	10100=00
3	गो0 बल्लभ पन्त कृ0 एवं प्रौ0 वि0विद्यालय	2003–04	—	20041=00	—	—	—	—	—	—	—	20041=00
	योग		—	85766=00	—	—	—	—	—	—	—	85766=00

डिग्री कालेज

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि– तायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु– मोदित /विविध अनियमि– तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	डिग्री कालेज	2002–03 व 2003–05	—	—	—	—	14520=00	—	—	—	—	14520=00
	योग		—	—	—	—	14520=00	—	—	—	—	14520=00

संस्कृत महा विद्यालय

क्र0 सं0	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमि– तायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अस्थायी अग्रिम	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानु– मोदित /विविध अनियमि– तायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	संस्कृत महा विद्यालय	2002–03 से 2004–05	12925=00	—	—	—	—	—	—	—	—	12925=00
	योग		12925=00	—	—	—	—	—	—	—	—	12925=00

उत्तरांचल शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग–2

(सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें)

वर्ष

2005–2006

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल, देहरादून।

भाग–2

(सहकारी समितियां एवं पंचायतें)

(1)–प्रशासनिक खण्ड

क्रम संख्या	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1–विभागीय प्राधिकार के स्रोत	2.1	1
2– सम्प्रेक्षाधीन लेखे	3.1–3.2	1
3– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1–4.2	2–3
4– प्रभागीय आय–व्ययक	5.1से 5.3	3–4
5– विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1से 6.2	4
6– विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1–7.3	4–5
7– प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	5–6
9– सम्परीक्षा में उद्घघटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10– विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	6
11– सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1से 2.2	6–7
12– निष्कर्ष	11	7
(2)–कार्यकारी खण्ड–	–	8–30
(3) परिशिष्ट,क,ख, ग, घ व अन्य	–	31–43

प्रशासनिक खण्ड

1–

उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 एवं उ0 प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 40 के अधीन सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा परीक्षा इस विभाग के सहकारी समितियां एवं पंचायते लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्पादित की जा रही है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा 8 (3) के अधीन प्रतिवर्ष वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखा जा रहा है तथा वर्ष 2004–2005 का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन माह अक्तूबर 2005 में विधान सभा के पटल पर रखा गया था। इसी क्रम में इस प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2005–2006 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2– विभागीय प्राधिकार के स्रोत :–

2.1 उत्तरांचल सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 64 तथा उत्तरांचल सहकारी समिति नियमावली 2004 के नियम संख्या 223 से 242 के अन्तर्गत सहकारी संस्थाओं की लेखा परीक्षा प्रत्येक सहकारी वर्ष में एक बार कराये जाने का प्राविधान है। इसी प्रकार उ0प्र0 पंचायतराज अधिनियम 1947 की धारा 40 तथा पंचायतराज नियमावली 1956 के नियम 186, 187 व 188 में ग्राम सभा, न्याय पंचायतों की लेखा परीक्षा कराने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त उ0प्र0 जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (बजट तथा सामान्य लेखा) (संशोधन) नियमावली 1999 के नियम 2 के अनुसार जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत की लेखा परीक्षा सहकारी समितियां एवं पंचायते प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराये जाने की व्यवस्था है। सहकारी एवं पंचायती राज संस्थाओं की लेखा–परीक्षा अधिनियमों, नियमावलियों सहकारिता विभाग पंचायत राज विभाग तथा नाबार्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आधार पर की जाती है।

3– सम्परीक्षाधीन लेखे ––

3.1 वर्ष 2005–06 में सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं के लेखों की संख्या 2509 और पंचायतराज संस्थाओं की संख्या 7393 थी। संस्थाओं के विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" भाग "एक" में दिये गये हैं।

3.2 सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिनके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट 'ख''** में दी गयी है।

4– सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य –

4.1 – राज्य की सहकारी संस्थाओं के वार्षिक सन्तुलन पत्रों की जांच एवं प्रमाणीकरण के साथ–साथ लेखा परीक्षा इस दृष्टिकोण से भी की जाती है कि संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति में कितनी सफल रही है और संस्था का सामान्य प्रशासन अधिनियम, नियमावली, उपविधियो एवं शासन द्वारा समय–समय पर जारी आज्ञाओं तथा परिपत्रों के अनुसार संचालित किया जा रहा है। संस्थाओं की आर्थिक स्थिति एवं सामान्य प्रशासन की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैक/नाबार्ड/निबन्धक,सहकारी समितियॉ द्वारा निर्धारित अंक पद्धति के अनुसार संस्थाओं का वर्गीकरण किया जाता है।

इसी प्रकार पंचायत राज संस्थाओं को दिये गये वित्तीय अनुदान आदि का उपभोग शासन द्वारा जारी निर्देशों/मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुरूप किये जाते हैं और इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं, की समीक्षा भी लेखा परीक्षा में की जाती है। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरूत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलापः:

1– सम्परीक्षाधीन सहकारी संस्थाओं, उद्योग संस्थाओं, दुग्ध संस्थाओं, आवास संस्थाओं, मत्स्य संस्थाओं, गन्ना संस्थाओं व पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य संस्थाओं के विविध लेखाओं की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं एवं शासन को सूचित करना।

2– उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।

3– उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।

4– सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।

5– सम्परीक्षित संस्थाओं (पंचायत संस्थाओं के अतिरिक्त) के वार्षिक आय–व्यय,' रोकड़पत्र एवं लाभ–हांनि खाता का प्रमाणीकरण एवं सन्तुलन पत्र के अपवादों को लेखांकित करना।

6– भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा जारी मापदण्डों के अनुरूप सहकारी संस्थाओं का उनके कार्य परिणाम के आधार पर वर्गीकृत करना।

7– सहकारी संस्थाओं की बकाया धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप एन0पी0ए0 का निर्धारण करना।

8– विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।

9– सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिए उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।

10– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।

11– विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठियॉ आयोजित करना।

12– सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।

13– सम्परीक्षाधीन सहकारी एवं पंचायत प्राधिकारियों के अधिनियम, नियमावली एवं उपविधियों के संगत प्राविधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।

14– उपर्युक्त सहकारी सवं पंचायत संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।

15– शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5 – प्रभागीय आय–व्ययक :–

5.1 यद्यपि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सहकारी एवं पंचायतराज संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के अधीन है और इस प्रभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी सरकारी सेवक हैं। इस बात का उल्लेख यहॉ विशेषतया इस प्रयोजन से किया जा रहा है कि सम्परीक्षाधीन संस्थाओं द्वारा कभी–कभी इस प्रकार की शंकाऐ व्यक्त की जाती है कि सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग भी सहकारी संस्थाओं की तरह अशासकीय तो नही है।

5.2 – इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक बजट से, राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धनराशि प्राप्त होती है।

5.3 – लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा समाप्ति के उपरान्त सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निर्धारित दरों पर किया जाता है जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें (परिशिष्ट 'ग') उत्तरांचल राज्य में भी लागू है।

6–विभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :– वित्तीय वर्ष 2005–06 में विभागीय व्यय एवं इस वर्ष में अवधारित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है:–

क0सं0	वित्तीय वर्ष	व्यय (रूपये)	आरोपित सम्प0शुल्क (रू0)
1–	2005–2006	23985000.00	5905049.00

6.2 सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नही की जा सकती है।

7.1– **विभाग की प्रशासनिक व्यवस्था** :–उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा0 सं0 5058/वि0शा0स0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह–स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रूप में कार्यरत है जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वि–स्तरीय है :–

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** "घ" में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त संवर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट** "घ–1" में दी गयी है।

7.2–1– **मुख्यालय स्तर** :– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है जो निदेशालय, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। सम्प्रति विभागाध्यक्ष श्री यशपाल सिंह, निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल हैं।

7.2–2– मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रूप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर–8 में दिया गया है। जनपदों की प्रमुख

संस्थाओं जैसे जिला सहकारी बैंक, जिला सहकारी दुग्ध संघ, जिला सहकारी संघ, केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार, सहकारी चीनी मिलें आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, सन्तुलन पत्रों का प्रमाणीकरण लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :– लेखा परीक्षाधीन ईकाइयॉ राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित हैं। सभी जनपदों में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा के जनपदीय कार्यालय हैं जिनमें कार्यालयाध्यक्ष जिला लेखा परीक्षा अधिकारी हैं। लेखा परीक्षक सभी जनपदों में नियुक्त किये गये हैं जो सम्बन्धित जनपद में संस्थाओं की लेखा परीक्षा सम्पन्न करते हैं।

8– प्रभाग की जनशक्ति :– वर्ष 2005–06 के अन्त में प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क0स0	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद		कार्यरत सं0		रिक्तपद	प्रतिशत संख्या
1–	समूह''क''	03		02		01	67
2–	समूह''ख''	18		12		06	67
3–	समूह ''ग''						
	सहा0 ले0 प0 अ0	06}		05}		01}	
	ज्ये0 ले0 परीक्षक ग्रेड–1	28}		28}		–	
	ज्येष्ठ लेखा परीक्षक	217}	320	50}	90	167}	230 28
	लेखा परीक्षक	69}		07}		62}	
	लिपिक वर्गीय	53		26		27	49
4–	समूह ''घ''	39		15		24	38
	योग	433		145		288	

9– सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2005–06 में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य:– वर्ष 2005–2006 में लगभग दो तिहाई पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 9902 लेखाओं में से 3863 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण करायी गयी । 28 प्रतिशत स्टाफ से 39.01 प्रतिशत आडिट कार्य सम्पन्न किया गया। सभी राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थाओं एवं केन्द्रीय सहकारी बैंको, जिला सहकारी दुग्ध संघो की

लेखा परीक्षा प्राथमिकता के आधार पर की गयी है। इस प्रकार शेष 60.99 प्रतिशत अर्थात 6039 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नही करायी जा सकी।

10.1.1–सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें :–

(क) सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2005–2006 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उद्घाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रू0 81289740=12 की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका संस्थावार/शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	शीर्षक	धनराशि
1–	व्यपहरण	11677330=59
2–	अनियमित/अधिक भुगतान	37651639=31
3–	राजस्व हानि	11676=87
4–	आर्थिक क्षति	1177729=79
5–	विविध अनियमितताये	30771363=56
	योग	**81289740=12**

10.1.2– विशेष सम्परीक्षाऐं :–

प्रभाग के लेखा परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति/गम्भीर अनियमितता से सम्बन्धित प्रकरणो की विशेष जांच संस्था के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से अथवा प्रत्यक्ष शासनादेश से सम्पादित की जाती है। वर्ष 2005–2006 में सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग से सम्बंधित किसी भी संस्था की विशेष सम्प्रेक्षा कराये जाने विषयक शासन से कोई आदेश प्राप्त नही हुआ है।

10.2.1 ––सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :– वर्ष 2005–2006 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :–

(रूपयों में)

01 अप्रैल, 2005 को प्रारम्भिक शेष	2749028=00
वर्ष में स्थापित मांग	5905049=00
योग	**8654077=00**
वर्ष में समाहरण	5560573=00
31 मार्च, 2006 को बकाया	**3093504=00**

10.2.2 – वर्ष 2005–06 में अवधारित लेखा परीक्षा शुल्क रू0 5905049=00 में से दिनांक 31.3.2006 तक रू0 4773582=00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं से राजकीय कोषागार में जमा कराया जा चुका है जो वर्ष में स्थापित मांग का 81 प्रतिशत है। विगत वर्षो के बकाया लेखा परीक्षा शुल्क में रू0 2749028=00 में से रू0 786991=00 सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का जमा किया जा चुका है।

11– **निष्कर्ष** :– उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न परिशिष्ट "क" से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2005–2006 में 2509 सहकारी संस्थाओं एवं 7393 पंचायतराज संस्थाओं की लेखा परीक्षा करनी थी। जनशक्ति की कमी के कारण बैकिंग रेगुलेशन ऐक्ट व आयकर की परिधि में आने वाली संस्थाओं को वरीयता देते हुए अधिकांश संस्थाओं की (997 सहकारिता एवं 2866 पंचायत) लेखा परीक्षा सम्पन्न की गयी। आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं की सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रूपये 81289740=12 की वित्तीय अनियमितताऐं प्रकाश में आयीं जिनमें व्यपहरण, दुर्निवियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति आदि के प्रकरण समाविष्ट हैं।

(यशपाल सिंह)
निदेशक।

कार्यकारी खण्ड

सहकारी एवं पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तरांचल

(वर्ष 2005–2006)

वर्ष 2005–06 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उद्घाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं।

सहकारी एवं पंचायत संस्थाओं का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार हैं :–

क0सं0	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि
1–	जिला सहकारी बैंक लि0	63029099.34
2–	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	–
3–	जिला भेषज एंव सहकारी विकास संघ लि0	951320.95
4–	केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार	1061885.74
5–	किसान सेवा/दीर्घा0/साधन समितियॉ	2549155.06
6–	गन्ना सहकारी समितियॉ	11699334.69
7–	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0/समितियां	422029.34
8–	मत्स्य जीवी सहकारी समितियां	–
9–	ग्राम पंचायते	1576915.00
	योग	81289740.12

विस्तृत विवरण परिशिष्ट ड. में दिया गया है।

वर्ष 2005–2006 में सम्पन्न विशेष सम्परीक्षाऐं

:: जिला सहकारी बैंक ::

जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून (वर्ष 2004–05)

अनियमित भुगतान :–

1– बैंक द्वारा उत्तरॉचल राज्य सहकारी विपणन संघ को इफको के अंश क्रय करने हेतु रू0 तीन करोड बैंक की उपविधियों, ऋण नीति व नाबार्ड के निर्देशों के विपरीत ऋण के रूप में दिया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– निबन्धक सहकारी समितियॉ, उत्तरॉचल के परिपत्र सी0–1275 /अधि0/01–02 दिनॉक 20/22–2–2002 के निर्देशो के विपरीत रू0 1066709.00 क्लोजिंग भत्ता (वार्षिक लेखाबन्दी) की मद में कर्मचारियों को भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–47

3– बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 12 के प्रतिकूल (निर्धारित सीमा रू0 2500.00 से अधिक) रू0 104408.00 बोनस का कर्मचारियों को भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 47ए

4– बैंक के सचिव/सामान्य प्रबन्धक तथा कैडर सेवा के अधिकारियों /कर्मचारियों को भी बोनस रू0 17495.00 व क्लोजिंग भत्ता रू0 96325.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 46

5– प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के सचिवों के वेतन खातो मे अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) रू0 4119951.54 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 3

6– ऋण वसूली निश्चित किये बिना ही, वसूली वाहन व्यय रू0 419409.45 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 4

7– बिना किसी शासनादेश के वर्ष 1977 के तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को वर्ष 2004–05 में अवशेष वेतन वृद्धि रू0 482025.00 भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–45

आर्थिक क्षति :–

8– विविध देनदार खाते से उत्तरॉचल राज्य सहकारी विपणन संघ देहरादून को कम्प्यूटर क्रय हेतु रू0 2044023.00 अग्रिम दिया गया किन्तु संस्था द्वारा कम्प्यूटर न उपलब्ध कराये जाने के कारण बैंक को सूद की क्षति रू0 447830.00 हुई।

भाग (अ) प्रस्तर– 37

विविध अनियमिततायें :–

9– बैंकिग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 19 के प्राविधानों के विपरीत बैंक द्वारा रू0 2,60,71,000.00 की धनराशि नान बैंकिग संस्थाओं में विनियोजित किया जाना अनियमित था। पूंजी एवं दायित्व की विभिन्न मदों में धनराशि रू0 203946.35 की वसूली के अभाव में निष्क्रय पावना दर्शित था।

भाग (ब) प्रस्तर– 16

10– भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या सी0भू0वि0डी0एस0/डी0सी0/35/आर–409798 दिनॉक 19.6.87 के प्राविधानों के विपरीत बैंक द्वारा बैंक कर्मचारियों को राष्ट्रीय बचत पत्रों तथा किसान विकास पत्रों के विरूद्व शत प्रतिशत ऋण, कम ब्याज दर पर दिया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–11

::जिला भेषज एवं सहकारी विकास संघः:

बागेश्वर जिला भेषज एवं कय विकय संघ लि0 जिला बागेश्वर (वर्ष 2003–04)

व्यपहरणः–

1– विभिन्न तिथियों में बीज, पौधों की बिक्री की धनराशि रू0 4027.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 2

अनियमित/अधिक भुगतान :–

2– बहुउददेश्य श्रमिको को देय वेतन रू0 2013.00 का अधिक भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 3,4व 5

राजस्व क्षतिः–

3– काश्तकार/ठेकेदार से प्रशासनिक शुल्क वसूल किये बगैर रवानगी बुक निर्गत किये जाने से रू0 11676.87 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर– 6 व 7

अल्मोडा जिला सहकारी भेषज विकास एवं कय विकय संघ लि0 जिला अल्मोडा (वर्ष 2002–03)

व्यपहरणः–

1– बिना प्रमाणक के रू0 52715.33 अमानत बैंक में जमा कर धनराशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

विविध अनियमिततायेंः–

2– शासकीय अनुदान का निर्दिष्ट मद में उपयोग न कर रू0 880888.75 की राशि शासन को वापस कर दी गयी।

भाग (ब) प्रस्तर–3

दून को–आपरेटिव स्टोर लि0 जनपद देहरादून (वर्ष 2004–05)

अनियमित भुगतान :–

1– स्टोर के कर्मचारियों को रू0 153638.30 बोनस अधिनियम 1965 की धारा 1(3)क तथा कर्मचारी सेवा नियमावली के प्राविधानों के विपरीत बोनस भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–21

2– सेवा निवृत्त निरीक्षक वर्ग–1 को अनियमित सेवा विस्तार कर रू0 90500.00 मानदेय का भुगतान समिति कोष से किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–25

::केन्द्रीय थोक/उपभोक्ता भंडार::

सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 जनपद बागेश्वर (वर्ष 1998–99 से 99–2000 तक)

व्यपहरण:–

1– कुल खाद्यान बिक्री का रू0 3819.46 से कम कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 4,5,7

2– कैश रसीदों से प्राप्य धन रू0 663.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 4,5,7

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां

लण्ढौरा किसान सेवा सह0 स0 लि0, वि0क्षे0 बहादराबाद जनपद हरिद्वार (वर्ष 2002–03 व 03–04)

व्यपहरण :–

1– कैश रसीदों का धन रू0 530.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–21

2– समिति की खाद बिक्री की धनराशि मिनी बैंक में व्यक्तिगत खाते में जमा कर धनराशि रू0 23639.11 का व्यपहरण किया गया। भाग (अ) प्रस्तर–34

अनियमित/अधिक भुगतान :–

3– बिना स्वीकृति तथा अनुमन्य सीमा से अधिक रू0 61153.00 बोनस/पारितोषिक का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–29व 30

आर्थिक क्षति :–

4– शासन के अनुमन्य सीमा से अधिक रू0 4230.00 व्यय को गेहूँ हैण्डलिंग में दर्शाकर समिति को क्षति पहुँचाई गई।

भाग (अ) प्रस्तर–33

कोटा मुरादनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 रूडकी जनपद– हरिद्वार।

(वर्ष 2000–01 से 03–04 तक)

व्यपहरण :–

1– खाद बिक्री का धन रू0 17706.00 को अभिलेखों में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 37 व 38

2– मिनी बैंक से प्राप्त धनराशि रू0 3800.00 को कैश बुक में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 39

बहादराबाद किसान सेवा सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 बहादराबाद, जनपद– हरिद्वार।

(वर्ष 2001–02 से 03–04 तक)

1– खाद की बिक्री रू0 1185.00 को कोषांकित न कर धन का व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर– 14

चुडियाला साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 भगवानपुर ,जनपद–हरिद्वार

(वर्ष 2002–03 व 03–04)

व्यपहरण :–

1– काल्पनिक सावधि निक्षेप के विरूद्ध ऋण प्राप्त कर रू0 209230.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–58

अनियमित/अधिक भुगतान :–

2– बचत खाते में अधिविकर्ष रू0 133963.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–63

विविध अनियमिततायें :–

3– पूंजी एवं दायित्व की विभिन्न मदों में धनराशि रू0 203946.35 निष्क्रिय पावना दर्शित थी।

भाग (ब) प्रस्तर– 59

औरंगाबाद साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 भगवानपुर जनपद हरिद्वार

(वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक)

व्यपहरण :–

1– निर्धारित मूल्य से कम दर पर बिक्री कर समिति को रू0 65154.40 हानि पहुँचाई गई।

भाग (अ) प्रस्तर–62,67 व 68

2– खाद व अन्य बिक्री धन रू0 19734.00 को अभिलेखों में अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 65, 66

3– उर्वरक बीज व दवाईयों की बिक्री मूल्य रू0 73,226.00 का व्यपहरण किया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

अनियमित/अधिक भुगतान :–

4– समिति द्वारा जिला सहकारी बैंक हरिद्वार को ऋण पर रू0 13380.00 अधिक ब्याज भुगतान किया गया था ।

भाग(अ) प्रस्तर–62(ड0)

विविध अनियमिततायें :–

5 – पूंजी पक्ष की विभिन्न मदों में रू0 207081.43 की राशि वसूल नही की गयी और निष्क्रिय पावना दर्शित थी।

भाग (ब) प्रस्तर–60

6– खाद के कय विकय का लेखा व प्रमाणक न होने के कारण बैंक द्वारा इस मद में दर्शित रू0 36891.00 की धनराशि अप्रमाणित रही।

भाग (ब) प्रस्तर–63

7– सत्यापित स्टाक से रू0 3501.42 का स्टाक सन्तुलन पत्र में अधिक दर्शित था।

भाग (ब) प्रस्तर–73

8– समिति में कैश एण्ड कैरी ऋण का 40 प्रतिशत मार्जिन मनी रू0 105071.71 सुरक्षित न रखा जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–69

9– समिति में इम्बैलेन्स की राशि रू0 50000.00 को लाभ में दर्शाया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–70

10– रिजर्व फॅड पर अर्जित ब्याज रू0 135869.29 को लाभ में दर्शाया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–72

गोबर्धनपुर साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 खानपुर , जनपद हरिद्वार

(वर्ष 2001–02 से 02–03)

व्यपहरण:–

1– खाद का बिक्री मूल्य जमा न कर रू0 5582.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–26

अनियमित/अधिक भुगतान :–

2– मूल्य समर्थन योजना के अर्न्तगत रू0 199143.00 से गॅहू ढुलान का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग (अ) प्रस्तर–12 (7) व (9)

3– गेहूॅ क्रय की शार्टेज रू0 34167.82 की वसूली न किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–12(8)

आर्थिक क्षति :–

4– शासन से अनुमन्य सीमा से अधिक व्यय रू0 30842.40 गेहूॅ हैण्डलिंग में दर्शाकर समिति को क्षति पहुॅचाई गई।

भाग (अ) प्रस्तर–14

पीतपुर साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 बहादराबाद , जनपद हरिद्वार

(वर्ष 2000–01 से 03–04)

व्यपहरण:–

1– खाद का बिक्री मूल्य जमा न कर रू0 17920.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–22 व 66

2– ऋण वसूली/ बिक्री धन/ नकद प्राप्ती तथा मिनी बैंक से प्राप्य धनराशि को कोषांकित न कर रू0 7423.30 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–40,7,30,41 व 27

3– एक ही व्यय की धनराशि को कैश बुक में दो बार घटाकर रू0 650.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 28,2 व 9

4– कैश बुक की शेष रोकड रू0 2317.00 को चार्ज में न देकर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर– 41

5– बिना यात्रा भत्ता देयक के रू0 62705.00 का भुगतान दर्शाकर व्यपहरण किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर– 28, 6, 27

अनियमित/अधिक भुगतान :–

6– समिति के भवन मरम्मत व पुताई पर बिना स्वीकृति के रू0 7400.00 व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 27

विविध अनियमितताऐं:–

7– समिति के मिनी बैंक के उदघाटन पर रू0 13228.00 का व्यय अनुमन्य सीमा से अधिक किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर– 42

साधन सहकारी समिति लि0 कर्मी, विकास क्षेत्र कपकोट जिला–बागेश्वर।

(वर्ष 2004–05)

व्यपहरण:–

1– बैंक एडवाईस के आधार पर फसल बीमा का समिति द्वारा 152.30 कैश बुक के आय पक्ष में बिना दर्ज किये व्यय पक्ष में दर्ज कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

साधन सहकारी समिति लि0 काण्डा, विकास क्षेत्र बागेश्वर जिला –बागेश्वर।

(वर्ष 2004–05)

व्यपहरण:–

1– उर्वरक की नकद बिक्री रू0 834.00 को कम कोषांकित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 2 व 3

साधन सहकारी समिति लि0, ढालवाला , वि0क्षे0 फकोट जिला– टिहरी गढवाल।

(वर्ष 2003–04)

व्यपहरण:–

1– कैश रसीदो का धन रू0 28012.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2 व 3

2– सरकार को प्रमाण रहित कर्जा वापस कैश बुक में दर्शाकर रू0 4500.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

अनियमित/अधिक भुगतान :–

3– प्रमाण रहित व्यय रू0 10480.00 का भुगतान कैश बुक से कम किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर– 5,6,7

देघाट साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0 स्यालदे जिला– जनपद अल्मोडा

(वर्ष 1995–96 से 2003–04 तक)

व्यपहरण:–

1– उर्वरक स्टाक का बिकी धन रू0 27176.86 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 2

2– सदस्यों से प्राप्त वसूली की धनराशि रू0 67442.00 को खाते में दर्ज किया गया किन्तु कैशबुक में कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

3– दिनॉक 19.7.96 को बिना प्रमाणक के अमानत रू0 3000.00 दर्शाकर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

विविध अनियमिततायें:–

4– दिनॉक 31.3.04 को सचिव के नाम रोकड व स्टाक कमी की धनराशि 28753.66 वसूली न कर पावना दर्शाया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–6

गूलरभोज दीर्घाकार बहुउदेश्य सहकारी समिति लि0,जनपद उधमसिंह नगर

(वर्ष 2004–2005)

व्यपहरण:–

1– बैंक से विभिन्न तिथियों में मिनी बैंक की कैशबुक में रू0 1,30,000.00 का लेखा पारित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

2– मिनी बैंक के खाता धारकों को उनके खाते में जमा राशि से अधिक रू0 45,054.00 का भुगतान कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

3– विभिन्न तिथियों में सदस्यों को एक ही चैक के आधार पर दो बार खाद बिक्री दिखा कर रू0 2,09,399.00 के स्टाक का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–5

सिमली साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–कर्णप्रयाग, जिला– चमोली।

(वर्ष 1987–88 से 03–04 तक)

व्यपहरण:–

1– कैश रसीदों का धन रू0 16214.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2 से 8

2– खाद व उपभोक्ता स्टाक का बिक्री धन रू0 125207.65 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–9 से 25

3– बैंक एडवाईस की, कैशबुक के केवल व्यय पक्ष में प्रविष्टि कर रू0 3490.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–26 से 28

4– मुख्य कैश बुक व मिनी बैंक की कैश बुक में रोकड़ शेष रू0 4230.00 को कम दर्ज कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–29 से 32

5– अमानत का फर्जी भुगतान दर्शाकर रू0 1360.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–33 व 34

6– कैश बुक में आय पक्ष का योग कम अंकित कर रू0 310.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–35 व 36

7– एक ही व्यय प्रमाणक का दो बार भुगतान दर्शाकर रू0 424.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–37 व 38

आर्थिक क्षतिः–

8– कम दर पर उर्वरक की बिक्री करके रू0 195.00 की क्षति पहुँचाई गयी।

भाग (अ) प्रस्तर–43

विविध अनिमिततायेंः–

9– जमा अमानतों पर अधिक ब्याज रू0 3870.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–39 व 40

10– बैंक से चेक द्वारा प्राप्त क्लीन / मध्यकालीन ऋण रू0 26761.00 की प्रविष्टि कैश बुक में न किया जाना अनियमित रहा।

भाग (ब) प्रस्तर–41 व 42

कोठली साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0– जिला–चमोली।

(वर्ष 1987–88 से 03–04 तक)

व्यपहरणः–

1– ऋण वसूली की धनराशि को कोषांकित न कर रू0 1080.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2 व 3

2– सदस्यों द्वारा जमा हिस्सा धन की राशि को कैशबुक में अंकित न कर रू0 2652.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4 से 5

3– पूर्व सचिव द्वारा कैश बैलेन्स व शेष व्यापारिक स्टाक को चार्ज में नये सचिव को न देकर रू0 33735.54 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–6

4– सदस्यों को हिस्सा धन का भुगतान दर्शित कर रू0 1000.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–7

सिवांई साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0– जिला– चमोली।

(वर्ष 1987–88 से 03–04 तक)

व्यपहरण:–

1– वसूली की धनराशि को कोषांकित न कर रू0 762.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– खाद/खाद्यान स्टाक का बिक्री धन रू0 5562.82 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3 से 9

3– बैंक एडवाईस की कैशबुक के मात्र व्यय पक्ष में प्रविष्टि कर रू0 2511.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–10 से 15

4– मिनी बैंक की कैश बुक में रोकड़ शेष रू0 600.00 को कम दर्ज कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–16

5– वेतन का दो बार भुगतान दर्शाकर रू0 1270.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–17 व 18

खतेड़ा साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–लोहाघाट, जनपद चम्पावत। (वर्ष 2004–05)

व्यपहरण:–

1– एक ही प्रविष्टि को दो बार कैश बुक में बैंक में जमा दर्शित कर रू0 2500.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–11

गोशनी साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–पाटी , जनपद चम्पावत।

(वर्ष 2004–05)

व्यपहरण:–

1– कैश बुक के पृष्ठ सं0 52 में आय पक्ष का योग रू0 9000.00 से कम दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–12

देवीधुरा साधन सहकारी समिति लि0, वि0क्षे0–पाटी , जनपद चम्पावत (वर्ष 2004–05)

व्यपहरणः–

1– 100 कि0ग्रा0 खाद का बिक्री मूल्य रू0 946.00 जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–5

::गन्ना अनुभाग::

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सितारगंज जनपद ऊधमसिंह नगर (वर्ष 1994–95)

आर्थिक क्षति :–

1– जारी तिथि से 8 माह बाद रू0 31875.00 के बैंक ड्राफ्टों को रद्द कराने से मिल्स समिति को रू0 3347.00 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– मैसर्स एरो इन्शलेसन (इंडिया) प्रा0 लि0 को अनियमित अग्रिम रू0 168629.60 भुगतान किये जाने से मिल्स को क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–3

3– मिल के 2 टर्बो चार्जरों के खराब होने से रू0 92095.00 का क्लेम बीमा कम्पनी से प्राप्त न किये जाने से आर्थिक क्षति हुई।

भाग (ब) प्रस्तर–6

4– विभिन्न फर्मों को अनियमित अग्रिम भुगतान किये जाने से रू0 19840.78 ब्याज की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–4

विविध अनियमिततायेंः–

5– गन्ना बीज का ढुलान व्यय रू0 15000.00 बिना बिल प्राप्त किये भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–5

6– मिल के अधिकारियों के आवास पर चपरासियों की सुविधा उपलब्ध कराने पर व्यय रू0 107025.62 अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–7

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 गदरपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर (वर्ष 1996–97)

अनियमित/अधिक भुगतान :–

1– 42 मी0 सुपर हीटर ट्यूब मूल्य रू0 5783.82 की आमद स्टोर में न दर्ज किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– चूने का सी0ए0ओ0 प्रतिशत ज्ञात किये बिना रू0 3500.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–3

3– 92.24 मी0 ड्रीलिंग के स्थान पर 103.66 मी0 ड्रीलिंग का रू0 7137.50 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–4

आर्थिक क्षति :–

4– बैगास बैंलिग पर कुल व्यय रू0 59902.74 के सापेक्ष मात्र रू0 5769.60 की आय होने से मिल समिति को रू0 54133.14 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–5

5– ब्राऊन सुगर भरने व स्केपिंग सुगर कार्य की दरों में 2.50 गुना वृद्वि करने से रू0 10000.00 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–6

6– मिल कार्य हेतु नियुक्त मजदूरों को निजी कार्य में नियोजित करने से मिल समिति को रू0 28800.00 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–7

7– मै0 टाटा आयरन एण्ड स्टील कं0 लि0 कानपुर द्वारा बिल में उत्पादन कर रू0 25446.15 के स्थान पर रू0 33720.02 चार्ज किये जाने से रू0 10273.87 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–8

दि किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 बाजपुर जनपद ऊधमसिंह नगर(वर्ष 2000–01 व 2001–02)

व्यपहरण:–

1– गोदाम प्रभारियों द्वारा मदिरा बिक्री की धनराशि रू0 8970979.48 को मिल कोष में जमा न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

अनियमित/अधिक भुगतान :–

2– मिल समिति से बाहर, गन्ना विकास सहकारी समिति बाजपुर के कर्मचारियों को पारितोषिक रू0 6500.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–3

3– केन मार्केटिंग मद में बाहय गन्ना कय केन्द्रो पर सड़कों के सुधार हेतु बिना स्वीकृति के व टेन्डर के रू0 18000.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–4

4– मिल का सम्पूर्ण कार्य ठेकेदारी प्रथा पर होने के उपरान्त भी दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों पर रू0 54662.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–5

5– चीनी मिल द्वारा अन्य मिल समितियों में कार्यरत अधिकारियों के अवकाश वेतन का रू0 41,851.90 अधिक अंशदान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–6

6– मै0 शिवालिक सैल्स को शराब की बोतले भरने का कार्य करने पर रू0 142469.34 अनुबन्ध से अधिक भुगतान अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–7

7– मिल कर्मचारियों को ग्रेच्यूटी के रूप में रू0 48,959.82 का अधिक भुगतान अनियमित रूप से किया गया ।

भाग (अ) प्रस्तर–8

8– मै0 शिवालिक सैल्स हल्द्वानी को बोतलों की धुलाई व भरायी मद में रू0 82,301.82 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–9

आर्थिक क्षतिः–

9– केन्द्रीय भण्डारागार बाजपुर में रखे गये स्कन्ध का बीमा प्रीमियम दो बार भुगतान करने से रू0 1,25,269.00 की क्षति हुई।

भाग (अ) प्रस्तर–10

विविध अनिमिततायें:–

10– केन्द्रीय भण्डार निगम के दरवाजे ठीक करवाने का व्यय रू0 5,445.00 मिल समिति से भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–11

11– पाउच भरायी कार्य शासन से प्रतिबन्धित होने के उपरान्त भी रू0 14,43,000.00 में पाउच मशीन व अन्य उपकरण क्रय किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–12

ज्वालापुर गन्ना विकास सहकारी समिति लि0, जिला हरिद्वार

(वर्ष 2002–03)

व्यपहरण:–

1– स्टाक पंजिका से खाद की मात्रा कम कर तथा बिक्री धन रू0 234330.00 कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर– 1 से 5

::दुग्ध अनुभाग::

हउली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 जनपद अल्मोड़ा

(वर्ष 1997–98 से 2004–05 तक)

व्यपहरण:–

1– दिनॉक 31.3.03 व 31.3.04 को कैश बुक की शेष रोकड रू0 399.34 से कम दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– दुग्ध बिक्री की धनराशि रू0 226.00 का लेखा कैश बुक मे अंकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

अनियमित/अधिक भुगतान :–

3– वर्ष 2002–03 का पिछला शेष स्टाक रू0 3693.00 को प्रारम्भिक स्टाक में सम्मिलित न किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–4

नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 लालकुॉ जनपद–नैनीताल

(वर्ष 2001–02 व 2002–03)

अनियमित/अधिक भुगतान :–

1– ट्रॉसपोर्टरों को संस्था से रू0 180469.00 अग्रिम का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग (अ) प्रस्तर–2

आर्थिक क्षतिः–

2– संस्था से मदर डेरी हेतु परिवहन कर्ता मै0 आर0 के0 ट्रेडर्स का दुग्ध टैकर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण 11310 ली0 दुग्ध मूल्य रू0 124410.00 की क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर–3

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत।

(वर्ष 2004–05)

व्यपहरणः–

1– विभिन्न तिथियों में कैश बुक की शेष रोकड़ रू0 13848.00 से कम दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–17

आर्थिक क्षतिः–

2– दिनॉक 28.12.04 को संघ का दुग्ध वाहन दुर्घटना ग्रस्त हो जाने के कारण 5200 ली0 दुग्ध मूल्य रू0 44809.00 तथा वाहन की मरम्मत पर व्यय 13025.00 कुल रू0 57834.00 की संघ को क्षति हुई थी।

भाग (अ) प्रस्तर–18

विविध अनिमिततायेंः–

3– उधार घी बिक्री रू0 41150.00 की समायोजन प्रविष्टि कैश बुक में पारित न किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–16

::पंचायत अनुभाग::

ग्राम पंचायत – न्यू गॉव, विकास क्षेत्र–डूण्डा, जिला– उत्तरकाशी (वर्ष 2000–2001 से 2003–2004 तक)

व्यपहरणः–

1– कोषबही के आय पक्ष में रू0 4600.00 से आय पक्ष का योग कम दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2ए0

2– कोषबही के व्यय पक्ष का योग रू0 10,000.00 से अधिक दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2सी0

अनियमित/अधिक भुगतान :–

3– योजनाओं से सबंद्ध मस्टर रोल पर दर्शित रू0 42790.00 के भुगतान की पुष्टि में श्रमिकों के प्राप्ती पर हस्ताक्षर न लिया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–15,17,18

4– बिना प्रमाणकों के छात्रवृत्ति भुगतान रू0 1200.00 किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–25

विविध अनिमिततायेंः–

5– विभिन्न योजनाओं पर दर्शित व्यय रू0 86939.00 की पुष्टि में मेजरमेन्ट बुक उपलब्ध नही है।

भाग (ब) प्रस्तर–20

6– योजना निर्माण हेतु सामग्री क्रय रू0 28294.00 का व्यय, निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात दर्शित किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–13 व 14

ग्राम पंचायत – देवडुंग, विकास क्षेत्र–पुरोला, जिला–उत्तर काशी (वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– बैंक शाखा पुरोला से विभिन्न तिथियों में आहरित धनराशि रू0 102459.00 की प्रविष्टि कोषबही में न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–6

2– कैश बुक में दर्शित भुगतान रू0 31187.00 की पुष्टि में प्रमाणक लेखा परीक्षा में उपलब्ध न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–7

ग्राम पंचायत – थान, विकास क्षेत्र–चम्बा, जिला–टिहरी गढ़वाल (वर्ष 2003–04)

व्यपहरणः–

1– ग्राम निधि ।। से आहरित धनराशि रू0 26950.00 को कोषबही में कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

ग्राम पंचायत – बमण गॉव, विकास क्षेत्र–जौनपुर, जिला–टिहरी गढ़वाल

(वर्ष 2002–03 व 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– बैंक खाते से आहरित धनराशि रू0 63500.00 को स्वीकृत विकास योजना में न लगा कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– बैंक खाता ।।। से आहरित छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 33620.00 छात्रों को वितरित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

ग्राम पंचायत – काण्डी, विकास क्षेत्र–जौनपुर, जिला–टिहरी गढ़वाल

(वर्ष 2001–02 से 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– बैंक खाता ।।। से आहरित छात्रवृत्ति की धनराशि रू0 28200.00 को छात्रों को वितरित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2,3

अनियमित/अधिक भुगतान :–

2– बिना प्रमाणक के रू0 160.00 स्टेशनरी भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–4

ग्राम पंचायत–माजफ, विकास क्षेत्र–प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल
(वर्ष 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं प्रशासक द्वारा रू0 9500.00 की धनराशि बैंक से आहरित करके कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– बिना प्रमाणक के भुगतान कोषांकित कर रू0 4500.00 का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

विविध अनियमितता :–

3– कच्चे निर्माण कार्यों पर रू0 57796.00 का भुगंतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–4

ग्राम पंचायत – क्यारी, विकास क्षेत्र–प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल
(वर्ष 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– श्रमिकों को काम के बदले अनाज योजना में रू0 87161.00 के कूपन निर्गत न कर इस खाद्यान धनराशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

विविध अनियमितता :–

2– इस्टीमेट से रू0 6670.00 अधिक व्यय स्वीकृत किया जाना अनियमित था ।

भाग (ब) प्रस्तर–3

3– चैक डाम कार्य पर रू0 82704.00 बिना स्वीकृत प्रस्ताव के व्यय किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–5

4– कच्चे निर्माण कार्यों पर रू0 67048.00 का भुगतान किया जाना अनियमित था।

भाग (ब) प्रस्तर–6

ग्राम पंचायत – भेलुन्ता, विकास क्षेत्र–प्रतापनगर, जिला–टिहरी गढ़वाल (वर्ष 2000–01 से 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– बैंक से आहरित धनराशि 484084.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–2

2– कैश रसीद रूपपत्र–7 से प्राप्त आय 241800.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

ग्राम पंचायत – जोशियाडा, विकास क्षेत्र–भिलंगना, जिला–टिहरी गढ़वाल (वर्ष 2002–03 से 2003–04 तक)

व्यपहरणः–

1– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा बैंक से आहरित धनराशि 1000.00 को कोषांकित न कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

2– ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा रू0 17980.00 विविध योजनाओं पर प्रमाण रहित व्यय दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

ग्राम पंचायत–पाटली, जनपद बागेश्वर (वर्ष 99–2000 से 2002–03 तक)

व्यपहरणः–

1– छात्रवृत्ति का प्रमाण रहित भुगतान रू0 40110.00 कोषबही में दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3,4,5

2– ग्राम पंचायत द्वारा 7168.00 का सामान क्रय कर प्राथमिक विद्यालय पाटली को दिया जाना एवं प्राप्ति रसीद न लिया जाना अनियमित था।

भाग (अ) प्रस्तर–6

ग्राम पंचायत–कटारमल, जनपद बागेश्वर (वर्ष 1998–99 से 2002–03)

व्यपहरण:–

1– छात्रवृत्ति का प्रमाण रहित भुगतान रू0 1200.00 कोषबही में दर्शित कर व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–3

2– चार चूल्हो की कीमत रू0 432.00 विकास खण्ड कार्यालय में जमा न कर प्रमाणक रहित भुगतान दर्शित कर इस राशि का व्यपहरण किया गया।

भाग (अ) प्रस्तर–4

3– ग्राम पंचायत द्वारा 7363.00 का सामान कय कर प्राथमिक विद्यालय कटारमल को देना दर्शाया गया है। पुष्टि में प्राप्ति रसीद नही है। उक्त स्टाक का व्यपहरण किया गया है।

भाग (अ) प्रस्तर–5

————X————

परिशिष्ट ''क'' भाग–(1)–(आख्या प्रस्तर 3,1 में सन्दर्भित)

कम सं0	संस्था की श्रेणी	संस्थाओ की संख्या
1–	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0,हल्द्वानी, नैनीताल	01
2–	उत्तरांचल रेशम कोआपरेटिव फैडरेशन लि0,प्रेमनगर,देहरादू न	01
3–	उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून।	01
4–	जिला सहकारी बैंक लि0,	10
5–	अरबन कोआपरेटिव बैंक लि0	08
6–	जिला सहकारी विकास संघ लि0	07
7–	जिला भेषज विकास संघ लि0	10
8–	थोक/केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार लि0	06
9–	अन्य केन्द्रीय सहकारी समितियॉ	06
10–	क्रय विक्रय सहकारी समितियां	31
11–	सहकारी विकास/ब्लाक संघ लि0	21
12–	सहकारी बीज/पूर्ति भण्डार	10
13–	किसान सेवा/लैम्पस/मध्याकार/साधन सहकारी समितियां	763
14–	कृषि सहकारी समितियां	04
15–	सहकारी उपभोक्ता भण्डार	36
16–	प्राईमरी सहकारी समितियां	01
17–	श्रम सविंदा/वेतन भोगी/विशिष्ट सहकारी समितियां	380
18–	जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0	12
19–	सहकारी दुग्ध समितियां	969
20.–	सहकारी चीनी मिले	04
21–	सहकारी गन्ना समितियां	12
22–	सहकारी आवास संघ/समितियां	60
23–	बुनकर/खादी/रेशम/उद्योग सहकारी समितियां	152
24–	सहकारी मत्स्य समितियां	04
25–	ज़िला पंचायतें	13
26–	वैयक्तिक लेखा (पी0 एल0 ए0)	13
27–	क्षेत्र पंचायत	95
28–	पंचायत उद्योग	53
29–	ग्राम पंचायतें	7219
	योगः–	9902

परिशिष्ट ''ख''

(आख्या प्रस्तर–3–2– में सन्दर्भित)

सम्परीक्षाधीन संस्थाएं एंव उन पर लागू सम्बन्धित अधिनियम :–

1–जिला सहकारी बैंक :–

(1) बैकिंग रेग्यूलेशन एक्ट 1949

(2) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004

(3) शासन/भारतीय रिजर्व बैंक/नावर्ड/निबन्धक सहारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(4) सम्बन्धित संस्था की सेवा नियमावर्ली

(5) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया एक्ट 1934

(6) पेमेन्ट आफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972

(7) पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1965

(8) निगोशियेवल इन्स्टूमेन्ट एक्ट 1881

2– सहकारी संस्थायें:–

(1) उत्तराचंल सहकारी समिति अधिनियम 2003 / नियमावली 2004

(2) शासन/निबन्धक सहकारी समितियां द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एंव सेवा नियमावली

(4) आयकर अधिनियम 1961/नियमावली 1962

(5) सी0 पी0 एफ0 रूल्स

3– दुग्ध/उद्योग संस्थायें :–

(1) उत्तराचंल सहकारी समिति अधिनियम 2003 / नियमावली 2004

(2) शासन/दुग्ध आयुक्त/उद्योग निदेशक द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) सम्बन्धित संस्था की उपविधियां एंव सेवा नियमावली

(4) उ0 प्र0 दुकान एंव वाणिज्य अधिनियम

(5) बिक्रीकर अधिनियम 1948/नियमावली

(6) सैन्ट्ल लेवर एक्ट 1970

(7) कारखाना अधिनियम 1948

(8) वर्क्स कम्पन्सेशन एक्ट

(9) दि पेमेन्ट आफ बोनस एक्ट 1936

4– गन्ना समितियां:–

(1) उ0 प0 गन्ना पूर्ति एंव खरीद अधिनियम

(2) शासन/केन कमिश्नर द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004

5– मत्स्य समितियां :–

(1) उत्तरांचल सहकारी समिति अधिनियम 2003 एंव नियमावली 2004

(2) शासन/निदेशक फिशरीज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

6– पंचायत संस्थायें :–

(1) उ0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1947/नियमावली /उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपारान्तरण आदेश 2005

(2) शासन/निदेशक पंचायती राज द्वारा जारी परिपत्र/आदेश/शासनादेश

(3) जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत अधिनियम/नियमावली

(4) उ0 प्र0 भूमि प्रबन्धन समिति नियम संग्रह

वित्तीय नियमावलियां

1– वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–दो ,तीन,पांच व छः	– सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
2– बजट मैनूअल	– सामान्य रूप से संस्थाओ पर लागू
3– समय–समय पर निर्गत शासकीय आदेशो	– सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
4– मैनूअल आफ गवर्नमैन्ट आर्डरस	– सामान्य रूप में संस्थाओ पर लागू
5– उपविधियां/सेवा नियमावलियां	– सामान्य रूप में अधिकांश संस्थाओ पर लागू

परिशिष्ट "ग"
(आख्या प्रस्तर–5–2 में सन्दर्भित)

आडिट 5471 / दस–300(8) / 74

प्रेषक,

श्री सुदर्शन लाल शाह कुमैया
उप सचिव,उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एंव पंचायते,उ0प्र0 लखनऊ
वित्त (लेखा परीक्षा अनुभाग)

लखनऊ : दिनांक सितम्बर,17,1977

विषय :: सहकारी समितियों से वसूली किये जाने वाले लेखा परीक्षा शुल्क की दरो का पुनरीक्षण।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अधीन अधिकारो का प्रयोग करके शासनादेश संख्या ए0एस0टी0–1953 / दस–3000(8) / 53 दिनांक 11 सितम्बर 1969 व उसी क्रम में जारी किये गये शासनादेश सं0 ए0एस0टी0' 300 / दस–3000 (8) / 53 दिनांक 16–4–70 का आशिंक सशोंधन करते हुए राज्यपाल महोदय,सहकारी समितियों द्वारा देय लेखा परीक्षा शुल्क की निम्नलिखित दरे और सीमायें और निर्धारित करते हैं:–

(1)– शीर्षस्थ समितियां जैसे यू0पी0 सहकारी संघ आदि एंव मिल्क बोर्ड कानपुर,मिल्क यूनियन लखनऊ,चीनी मिल,सूती मिल आदि ऐसी संस्थायें,जिनका वार्षिक व्यवसाय (टर्न ओवर) एक करोड़ रूपये से अधिक है,लेखा परीक्षा पर हुए कुल व्यय को वहन करेगी।

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी इन समितियों की लेखा परीक्षा पूर्ण होने पर लेखा परीक्षा पार्टी के उपर हुए व्यय को सम्बन्धित समितियों को संसूचित करेंगे।

(2)– प्रदेश की शेष समितियों पर लेखा परीक्षा शुल्क निम्नलिखित दरो से देय होगा :–

क0स0	सहकारी समितियों की प्रकृति	शुल्क अवधारण का आधार	दर
क–	ऋण समितियां (रू0 का लेन देन करने वाली)	लेखा परीक्षा वर्ष के 30 जून की कार्यशील पूंजी पर	60 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ख–	उत्पादन संग्रह,क्रय विक्रय एंव उद्योग समितियां	लेखा परीक्षित वर्ष के विक्रय पर	30 पैसे प्रति एक सौ रूपये
ग–	समितियां जिनका प्रभाव उद्धेश्य परामर्श अथवा सेवा प्रदान करना है	लाभ हानि नक्शे के लाभ पक्ष में दर्शित सकल आय (सकल आय लाभ सहित) पर	सकल आय का 2 प्रतिशत

(3) विभिन्न प्रकार की समितियों द्वारा देय शुल्क की अधिकतम सीमाओ की गणना निम्न प्रकिया के अनुसार की जायेगी।

क0 सं0	सहकारी समितियां	अधिकतम सीमा	अधिकतम सीमाओ की गणना प्रकिया
1–	जिला/केन्द्रीय सहकारी बैंक	10,000.00	
क–	50 लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर		
ख–	50 लाख रू0 से अधिक एक करोड़ रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	20,000.00	
ग–	एक करोड़ रू0 से अधिक कार्यशील पूंजी पर	50,000.00	
2–	नगर बैंक/प्राईमरी सहकारी बैंक	10,000.00	प्रत्येक एक लाख की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 200.00
3–	प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां एंव प्रस्तर 2 (क) में उल्लिखित अन्य ऋण व्यवसाय वाली समितियां:–		
क–	एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	500.00	
ख–	एक लाख रू0 से अधिक दो लाख रू0 की कार्यशील पूंजी पर	1,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500.00
ग–	दो लाख रू0 से अधिक चार लाख रू0 तक की कार्यशील पूंजी पर	2,000.00	
घ–	चार लाख रू0 से अधिक की कार्यशील पूंजी पर	3,000.00	
4–	वेतन भोगी सहकारी समितियां	3,000.00	
5–	जिला सहकारी संघ	10,000.00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए रू0 1,000.00
6–	सहकारी दुग्ध संघ	5,000.00	
7–	प्रारम्भिक उपभोक्ता भण्डार	1,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की बिक्री के लिए 150.00
8–	केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार	2,000.00	
9–	नया बाजार	3,000.00	
10–	उद्योग समितियां	2,500.00	प्रत्येक रू0 25,000.00 की बिक्री के लिए रू0 50.00
11–	प्रस्तर दो (ख) में आने वाली अन्य ऐसी समितियां जिन पर शुल्क की सीमा पृथक रूप से नही निर्धारित है अथवा जिनमें लेखा परीक्षा पर होने वाले व्यय का प्रावधान नही है।	2,000.00	प्रत्येक 5 लाख रू0 की बिक्री के लिए 1,000.00 रू0

12–	गन्ना संघ एंव समितियां	20,000.00	प्रत्येक एक लाख रू0 की कार्यशील पूंजी के लिए रू0 500.00 एक लाख रू0 से कम कार्यशील पूंजी अथवा कार्यशील पूंजी का वह भाग जो एक लाख रू0 अथवा उसके गुणक के अतिरिक्त होगा उस पर लेखा परीक्षा शुल्क सामान्य दर (60 पैसे प्रति 100.00 रू0) से अथवा रू0 500.00 जो भी कम हो लगाया जायेगा।

2– राज्यपाल महोदय यह भी आदेश देते है कि उ0 प्र0 सहकारी समिति नियमावली 1968 के नियम 220 के अनुसार यह आदेश शासनादेश की तिथि से लागू होंगे।

भवदीय
ह0–
(सुदर्शन लाल शाह कुमैया)
उप सचिव

आडिट संख्या 5471 (1)/दस–300 (8)/74

परिशिष्ट – ''घ''
(प्रस्तर 3–1 में सन्दर्भित)

सहकारी एंव पंचायत लेखा परीक्षा प्रभाग के लिए स्वीकृत जिला सम्परीक्षा कार्यालयो की सूची :–

क्र0सं0	जिले का नाम जंहा जिला लेखा परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित है।
1–	उत्तरकाशी
2–	चमोली
3–	टिहरी (नरेन्द्रनगर)
4–	देहरादून
5–	पौड़ी–गढ़वाल
6–	हरिद्वार
7–	रूद्रप्रयाग
8–	अल्मोड़ा
9–	पिथौरागढ़
10–	नैनीताल
11–	उधमसिंह नगर
12–	बागेश्वर
13–	चम्पावत

परिशिष्ट – ''घ–1''
(प्रस्तर 3–1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :–

1–	उत्तरांचल राज्य सहकारी बैंक लि0,हल्द्वानी, नैनीताल।	01
2–	उत्तरांचल रेशम कोआपरेटिव फैडरेशन लि0,प्रेमनगर,देहरादून।	01
3–	उत्तराचंल राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, देहरादून।	01
4–	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 बाजपुर, उधमसिंह नगर।	01
5–	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 गदरपुर, उधमसिंह नगर।	01
6–	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 नादेही, उधमसिंह नगर।	01
7–	किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0 सितारगंज, उधमसिंह नगर।	01
8–	जिला सहकारी बैंक लि0 नैनीताल हल्द्वानी।	01
	योग	08

परिशिष्ट–ड. (पृष्ठ 8 पर सन्दर्भित)

जिला सहकारी बैंक लि0

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1–	जिला सहकारी बैंक लि0, देहरादून	2004–05	–	36306322.99	447830.00	–	26274946.35	63029099.34
योगः–			–	36306322.99	447830.00	–	26274946.35	63029099.34

जिला भेषज एंव विकास संघ

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	बागेश्वर जिला भेषज एवं क्रय विक्रय संघ लि0 बागेश्वर।	2003–04	4027.00	2013.00	–	11676.87	–	17716.87
2	अल्मोडा जिला सहकारी भेषज विकास एवं कय विकय संघ लि0 अल्मोडा	2002–03	52715.33	–	–	–	880888.75	933604.08
योगः–			56742.33	2013.00	–	11676.87	880888.75	951320.95

केन्द्रीय/थोक उपभोक्ता भण्डार

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	दून को–आपरेटिव स्टोर लि0 देहरादून	2004–05	–	244138.30	–	–	–	244138.30
2	स्हकारी उपभोक्ता भंडार लि0 बागेश्वर	1998–99 से 1999–00 तक	4482.46	–	–	–	–	4482.46
योग			**4482.46**	**244138.30**	–	–	–	**248620.76**

किसान सेवा सहकारी/दीर्घाकार /मध्याकार/साधन सहकारी समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	लण्ढौरा किसान सेवा सहकारी समिति लि0, हरिद्वार।	2002–03 से 2003–04	24169.11	61153.00	4230.00	–	–	89552.11
2	कोटा मुरादनगर किसान सेवा सहकारी समिति लि0, हरिद्वार।	2000–01 से 2003–04	21506.00	–	–	–	–	21506.00
3	बहादराबाद किसान सेवा सहकारी समिति लि0, हरिद्वार।	2001–02 से 2003–04	1185.00	–	–	–	–	1185.00
4	चुडियाला साधन सहकारी समिति लि0, भगवानपुर, हरिद्वार	2002–03 से 2003–04	209230.00	133963.00	–	–	203946.35	547139.35

5	औरंगाबाद साधन सहकारी समिति लि0, भगवानपुर, हरिद्वार	2001–02 से 2003–04	158114.40	13380.00	–	–	538414.85	709909.25
6	गोरधनपुर साधन सहकारी समिति लि0, खानपुर, हरिद्वार	2001–02 से 2002–03	5582.00	233310.82	30842.40	–	–	269735.22
7	पीतपुर साधन सहकारी समिति लि0, बहादराबाद, हरिद्वार	2000–01 से 2003–04	91015.30	7400.00	–	–	13228.00	111643.00
8	कर्मी साधन सहकारी समिति लि0, बागेश्वर।	2004–05	152.30	–	–	–	–	152.30
9	काण्डा साधन सहकारी समिति लि0, बागेश्वर।	2004–05	834.00	–	–	–	–	834.00
10	ढालवाला साधन सहकारी समिति लि0 टिहरी गढवाल।	2003–04	32512.00	10480.00	–	–	–	42992.00
11	देघाट साधन सहकारी समिति लि0, अल्मोडा।	1995–96 से 2003–04	97618.86	–	–	–	28753.66	126372.52
12	गूलर भोज साधन सहकारी समिति लि0, उधम सिंह नगर।	2004–05	384453.00	–	–	–	–	384453.00
13	सिमली चमोली।	1987–88 से 2003–04	151235.65	–	195.00		30631.00	182061.65
14	कोठली साधन सहकारी समिति लि0, चमोली।	1987–88 से 2003–04	38467.54	–	–	–	–	38467.54
15	सिवांई साधन सहकारी समिति लि0, चमोली।	1987–88 से 2003–04	10705.82	–	–	–	–	10705.82

16	खतेडा साधन सहकारी समिति लि0, चम्पावत।	2004–05	2500.00	–	–	–	–	2500.00
17	गोशनी साधन सहकारी समिति लि0,चम्पावत।	2004–05	9000.00	–	–	–	–	9000.00
18	देवीपुरा साधन सहकारी समिति लि0,चम्पावत।	2004–05	946.00	–	–	–	–	946.00
योग			1239226.98	459686.82	35267.40		814973.86	2549155.06

सहकारी गन्ना समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	ज्वालापुर गन्ना विकास सहकारी समिति लि0, हरिद्वार	02703	234330.00	–	–	–	–	234330.00
2	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स् सितारगंज, उधमसिंह नगर	1994–95	–	–	283912.38	–	122025.62	405938.00
3	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स् लि0 गदरपुर, उधमसिंह नगर	1996–97	–	16421.32	103207.01	–	–	119628.33
4	दि किसान सहकारी चीनी मिल्स् लि0 बाजपुर, उधमसिंह नगर	2000–01 से 2001–02	8970979.48	394744.88	125269.00	–	1448445.00	10939438.36
योग			9205309.48	411166.20	512388.39	–	1570470.62	11699334.69

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ/समितियां

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	हउली दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 अल्मोडा।	1997–98 से 2004–05	625.34	3693.00	–	–	–	4318.34
2	नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लि0 लालकुऑ	2001–02 से 2002–03	–	180469.00	124410.00	–	–	304879.00
3	चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत	2004–05	13848.00	–	57834.00	–	41150.00	112832.00
योग			14473.34	184162.00	182244.00	–	41150.00	422029.34

ग्राम पंचायतें

कम संख्या	नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/अनियमित भुगतान	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	विविध अनियमितता	योग
1	न्यूगांव ग्राम पंचायत उत्तरकाशी	2000–01 से 2003–04	14600.00	43990.00	–	–	115233	173823.00
2	देवढुंग ग्राम पंचायत उत्तरकाशी	2001–02 से 2003–04	133646.00	–	–	–	–	133646.00
3	थान ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2003–04	26950.00	–	–	–	–	26950.00

4	बमणगांव ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2002–03 से 2003–04	97120.00	–	–	–	–	97120.00
5	काण्डी ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2001–02 से 2003–04	28200.00	160.00	–	–	–	28360.00
6	माजफ ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2003–04	14000.00	–	–	–	57796.00	71796.00
7	ख्यार्सी ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2003–04	87160.00	–	–	–	156422.00	243583.00
8	भेलुन्ता ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2000–01 से 2003–04	725884.00	–	–	–	–	725884.00
9	जोशियाडा ग्राम पंचायत टिहरी गढवाल	2002–03 से 2003–04	18980.00	–	–	–	–	18980.00
10	पाटली ग्राम पंचायत बागेश्वर	1999–00	47278.00	–	–	–		47278.00
11	कटारमल ग्राम पंचायत बागेश्वर	1998–99 से 2003–04	9495.00	–	–	–	–	9495.00
योग			1203314.00	44150.00	–	–	329451.00	1576915.00

फी0एस0यू0 (आर0ई0) 06 चित्र/358–28–09–2006–400 प्रतियां (कम्प्यूटर/सीधियो)।